न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, मध्य प्रदेश
(समक्ष – अजय श्रीवास्तव)

आर.टी. नं.803/04

मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र कोहेफिजा,
भोपाल (म.प्र.) ——————————————अभियोगी

विरूध्द

1. सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज
आत्मज सैयद मोहम्मद अहमद अनीस,
आयु लगभग 40 वर्ष,
निवासी अर्जुन वार्ड, गांधी नगर,
आरक्षी केन्द्र परवलिया, भोपाल, (म.प्र.)
(क्षमादान अभियुक्त)

2. सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा
आत्मज सैयद मोहम्मद अनीस,
आयु लगभग 37 वर्ष,
निवासी अर्जुन वार्ड, गांधी नगर,
आरक्षी केन्द्र परवलिया, भोपाल, (म.प्र.)

3. अबू सलेम उर्फ दानिश बेग
आत्मज कयुम अंसारी उर्फ नख्तर बेग,
आयु लगभग 38 वर्ष,
निवासी सारी मीर, जिला आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश)
(फरार आरोपी)

4. रूबीना बेग उर्फ समीरा जुमानी
पत्नी अबू सलेम उर्फ दानिश बेग
आयु लगभग 37 वर्ष,
निवासी सारी मीर, जिला आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश)
(फरार आरोपी)

5. फौजिया उस्मान उर्फ मोनिका बेदी
आत्मज प्रेमलाल बेदी,
आयु लगभग 36 वर्ष,
निवासी ग्राम छब्बेवाल,
जिला होशियारपुर (पंजाब)————————अभियुक्तगण

–: निर्णय :–
(आज दिनांक 16.07.2007 को घोषित)

1. सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाता है, कि प्रकरण में आरोपी क्र.1 सैयद

अब्दुल जलील उर्फ सिराज को इस प्रकरण में आदेश पत्रिका में पारित आदेश

दिनांक 27.11.2006 के अनुसार धारा 306 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत क्षमादान दिया गया है, । अतः प्रकरण में आरोपी क्र.1 क्षमादान प्राप्त सह–अभियुक्त (Approver) है, । आरोपी क्र.3 अबू सलेम उर्फ दानिश बेग व आरोपी क्र.4 रूबीना बेग उर्फ समीरा जुमानी प्रकरण में फरार घोषित है, व उनकी गिरफ्तारी व विचारण अभी शेष है। इसीलिए यह निर्णय अभियुक्त क्र.1, 3 एवं 4 के संबंध में घोषित नहीं किया जा रहा है, अपितु आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा तथा आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी के संबंध में ही घोषित किया जा रहा है।

2.आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के विरूध्द धारा 420, 467, 468 एवं 120(बी) भारतीय दण्ड विधान 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत आरोप है, व आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी के विरूध्द धारा 420, 468 एवं 471 भा.द.वि 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत आरोप है ।

3. प्रकरण में यह विवादित नहीं है, कि आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी पूर्व में इस प्रकरण में फरार घोषित थी तथा प्रकरण के लंबित रहने के दौरान यह जानकारी मिलने पर की उसे पुर्तगाल में किसी प्रकरण में अभिरक्षा में लिया गया है,, उसे इस प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों के संबंध में भारत लाने हेतु भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्पण कार्यवाही की गई ।

4. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है, कि पुलिस अधीक्षक भोपाल को इस आशय की सूचना मिलने पर कि पासपोर्ट कार्यालय भोपाल से अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के आवेदक दानिश बेग, रूबीना बेग व श्रीमती फौजिया उस्मान द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर व गलत पते दर्शित कर पासपोर्ट प्राप्त किए गए है, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैरागढ़, भोपाल के माध्यम से जांच करवाई गई ; जिसमें यह पाया गया कि उक्त व्यक्तियों ने जिस मकान क्र. 1927, अर्जुन वार्ड, आबेदा मेमोरियल स्कूल, गांधीनगर, भोपाल का पता दर्शित करते हुए पासपोर्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत किए और पासपोर्ट बनवाए हैं, वह पता गलत है, तथा उक्त पते पर ये व्यक्ति निवास नहीं करते है । इस आशय की रिपोर्ट एस.डी.ओ.पी., पुलिस संभाग बैरागढ, भोपाल द्वारा प्रस्तुत करने पर

भा.द.वि. आरक्षी केन्द्र कोहेफिजा, भोपाल में पंजीबध्द किया गया । अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि पासपोर्ट की प्राप्ति हेतु कूट रचित राशन कार्ड व शपथ पत्र भी बनवाए गए । दानिश बेग के नाम से जिस व्यक्ति ने पासपोर्ट बनवाया वह वास्तव में अबू सलेम है,, रूबीना बेग के नाम से जिसने पासपोर्ट बनवाया वह वास्तव में अबू सलेम की पत्नी समीरा जुमानी है, व फौजिया उस्मान के नाम से जिसका पासपोर्ट बनाया गया वह वास्तव में मोनिका बेदी है, । यह सभी पासपोर्ट आरोपी सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के जरिए बनवाए गए, जिसने स्वयं को फौजिया उस्मान का पति मोहम्मद उस्मान खान होना बताते हुए कूट रचित शपथपत्र, राशन कार्ड, फोटो आदि बनाने की कार्यवाही की तथा शपथपत्रों को कूट रचित होना जानते हुए भी आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा ने शपथकर्ताओं की झूठी पहचान करते हुए उन पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किए है, । अन्वेषण के दौरान पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट रजिस्टर, दानिश बेग, रूबिना बेग व फौजिया उस्मान के पासपोर्ट से संबंधित पासपोर्ट आवेदन पत्रों सहित संपूर्ण फाईलें, नगर निगम, भोपाल से दानिश बेग व मोहम्मद उस्मान खान के नाम से जारी राशन कार्ड व राशन कार्ड कार्यवाही से संबंधित आवेदन पत्र, राशन कार्ड रजिस्टर आदि दस्तावेज जप्त किए गए । आरोपीगण की पहचान के संबंध में स्थानीय गवाहों के धारा 161 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन दर्ज किए गए । आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा सहित नवीन पटवारी, राकेश चावरिया व महेन्द्र शर्मा की हस्तलिपि के नमूने प्राप्त किए गए । आरोपी क्र.1 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज व आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा को अभिरक्षा में लिया गया तथा आरोपी क्र.1 एवं 2 की अभिरक्षा एवं शेष आरोपीगण की फरारी में, अन्वेषण की अन्य औपचारिकताओं के उपरान्त, सभी आरोपीगण के विरूध्द धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120(बी) भा.द.वि. 1860 तथा धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 25.09.2002 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा धारा 15 पासपोर्ट अधिनियम 1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 16.01.2003 के अनुसार सभी आरोपीगण के विरूध्द धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत अभियोजन

की स्वीकृति प्रदान की गई ।

5. प्रकरण में आरोपी क्र.3 दानिश बेग उर्फ अबू सलेम, आरोपी क्र.4 रूबीना बेग उर्फ समीरा जुमानी व आरोपी क्र.5 को फरार घोषित करते हुए उनके विरूध्द स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए । प्रकरण के लंबन के दौरान यह जानकारी प्राप्त होने पर कि आरोपी क्र.3 दानिश बेग उर्फ अबू सलेम व आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी को पुर्तगाल में किसी प्रकरण में अभिरक्षा में लिया गया है, अभियोजन द्वारा भारत सरकार के माध्यम से इन दोनों आरोपियों को इस प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों में विचारण हेतु भारत लाने के लिए भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के अंतर्गत प्रत्यर्पण की कार्यवाही की गई व प्रत्यर्पण संबंधी अनुमति पुर्तगाल शासन से प्राप्त की गई । भारत सरकार द्वारा इस प्रकरण में आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी का अभियोजन धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120(बी) भा.द.वि. 1860 एवं धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत किए जाने की अनुमति चाही गई थी, किन्तु कोर्ट ऑफ अपील्स, लिस्बन, पुर्तगाल के आदेश दिनांक 03.08.2005 व सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, पुर्तगाल के निर्णय दिनांक 28.10.2005 के अनुसार, आरोपी मोनिका बेदी का इस प्रकरण में केवल धारा 420, 468 एवं 471 भा.द.वि. 1860 व धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत अभियोजन किए जाने की अनुमति दी गई तथा धारा 419, 467 एवं 120(बी) भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति नहीं दी गई । तत्पश्चात पुर्तगाल सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि एवं प्रत्यर्पण डिक्री के आधार पर आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी को भारत लाया गया तथा विशेष न्यायाधीश CBI प्रकरण हैदराबाद के समक्ष अपराध क्र.34/02 के संबंध में चले प्रकरण सी.सी. क्र.3/2005 में गिरफ्तार किया गया तथा चंचल गुडा महिला जेल हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में निरूध्द किया गया । इस प्रकरण में आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चंचल गुडा कारागार हैदराबाद को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया । प्रोडक्शन वारंट से भोपाल लाए जाने पर इस प्रकरण में दिनांक 05.12.2005 को आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया ।

6. तत्पश्चात आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी के संबंध में अभियोजन द्वारा अग्रिम अन्वेषण किया गया । जिसके दौरान कोर्ट ऑफ अपील्स लिस्बन व सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, पुर्तगाल के निर्णय, गवाह मोहम्मद सईद, नसीम खान, श्रीमती

अजीज फातिमा, उमाशंकर वर्मा, श्रीमती जोहरा बानो, अमर जीनस लकडा,

जावेद, मानसिंग, कु.शगुफ्ता आसिफ, श्रीमती तुलसाबाई, शमशाद बी, विपीन दुबे, सैयद आमीर इस्लाम व खलील उल्ला खान के धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन दर्ज किए गए । अन्वेषण की अन्य औपचारिकताओं के उपरान्त दिनांक 13.10.2006 को आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी के विरूध्द अनुपूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

7. दिनांक 16.10.2006 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल श्री डी. के.दांगी द्वारा आरोपी क्र.1 शेख अब्दुल जलील उर्फ सिराज एवं आरोपी क्र.2 शेख अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के विरूध्द धारा 420, 467, 468 व 120(बी) भा.द. वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी के विरूध्द धारा 419, 420, 468 व 471 भा.द.वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए । आरोपीगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण चाहा । आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी द्वारा उसके विरूध्द लगाए गए आरोपों के संबंध में पुनरीक्षण क्र.362/06 प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.), श्री अनुराग श्रीवास्तव द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2006 के अनुसार, आरोपी क्र.5 के विरूध्द लगाए गए धारा 419 भा.द.वि. के आरोप को विलोपित करने का आदेश दिया गया ; जिसके अनुपालन में दिनांक 06.11.2006 को ही आरोपिया मोनिका बेदी को धारा 419 भा.द.वि. 1860 के आरोप से उन्मोचित कर दिया गया तथा अब उसका विचारण केवल धारा 420, 468, 471 भा.द.वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत ही किया जा रहा है, ।

8. यहां यह उल्लेखित किया जाना महत्वपूर्ण है, कि अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ हो जाने तथा अ.सा.1 अनिल सिंह मौर्य व अ.सा.2 सीताराम डेहरिया की साक्ष्य अभिलिखित कर लिए जाने के पश्चात, दिनांक 17.10.2006 को आरोपी क्र. 1 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने approver बनने हेतु धारा 306 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत क्षमादान दिए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा अभियोजन साक्षी अ.सा.3 नसीम खान, असा.4 देवेन्द्र शुक्ला, अ.सा.5 आरक्षक सुरेन्द्र सिंह, अ.सा.6 हरीसिंह, अ.सा.7 तुलसाबाई, अ.सा.8 खलील उल्ला खान,

अ.सा.9 सीतासरण सुर्यवंशी, अ.सा.10 मकसूद अहमद एव अ.सा.11 नसीर अहमद की साक्ष्य, दिनांक 26.10.2006 से 25.11.2006 के मध्य अंकित कर लिए जाने के उपरान्त आदेश पत्रिका में पारित आदेश दिनांक 27.11.2006 के अनुसार आरोपी क्र.1 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज का धारा 306 द.प्र.सं. 1973 का आवेदन स्वीकार कर उसे क्षमादान प्रदान किया गया व approver बनाया गया । तत्पश्चात दिनांक 28.11.2006 को आरोपी क्र.1 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के धारा 306(4) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. 1973 के कथन मूल विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, भोपाल, श्री डी.के.दांगी द्वारा अभिलिखित किए गए व दिनांक 30.11.2006 को धारा 306 की उपधारा 5(1)(ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, प्रकरण इस न्यायालय अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की ओर प्रेषित किया गया और इसीलिए प्रकरण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है ।

9. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में क्षमादान प्राप्त आरोपी क्र.1 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज (अ.सा.13) सहित अ.सा.1 लगायत अ.सा.40 के रूप में चालीस गवाह व प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.140 तथा आर्टिकल "A" से "E" तक के दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किए गए, जबकि आरोपिया क्र.5 मोनिका बेदी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्रदर्श डी.1 से डी.9 तक के दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए है, । किन्तु आरोपीगण द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

10. धारा 313 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत किए गए परीक्षण में दोनों आरोपीगण ने निर्दोषता का अभिवाक करते हुए, स्वयं को प्रकरण में झूठा फंसाया जाना बताया है । विशेष रूप से आरोपिया मोनिका बेदी का धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में यह अभिवचन किए गए है,, कि सह आरोपी सिराज अण्डरवर्ल्ड से जुडा हुआ है, तथा उसने पुलिस के साथ मिलकर आरोपिया को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए है ।

11. उपरोक्त परिस्थियों में प्रकरण में विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है

(1) क्या आरोपी अब्दुल कबीर उर्फ बाबा ने दिनांक 21.05.2001 या उसके पूर्व अन्य आरोपीगण के साथ आपराधिक षडयंत्र बनाते हुए

सहआरोपी दानिश बेग, रूबीना बेग और फौजिया उस्मान के

पासपोर्ट हेतु असत्य शपथपत्र, राशन कार्ड व पते के संबंध में अभिप्रमाणित किए तथा क्या असत्य राशन कार्ड व पते के संबंध में शपथपत्र का अभिप्रमाणन व फोटो आदि की कूट रचना इस आशय से की, कि उनका प्रयोग भारत से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु किया जा सके ?

(2) क्या आरोपी अब्दुल कबीर उर्फ बाबा ने दिनांक 21.05.2001 या उसके पूर्व अन्य सहअभियुक्तों के पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए मिथ्या फोटो, राशन कार्ड आदि कपट पूर्वक यह जानते हुए कि वे कूट रचित दस्तावेज है,, छल करने के आशय से उनका प्रयोग पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल से पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए किया तथा क्या जानबूझकर इस संबंध में उसने असत्य जानकारी पासपोर्ट प्राधिकारी को दी ?

(3) क्या आरोपिया मोनिका बेदी ने दिनांक 21.05.2001 या उसके पूर्व पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय भोपाल से पासपोर्ट परिदत्त करने के लिए बेइमानीपूर्ण आशय से मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर छल कारित किया तथा क्या इस हेतु उसने फौजिया उस्मान पत्नी मोहम्मद उस्मान निवासी अर्जुन नगर, भोपाल का असत्य फोटो, पत्र, शपथपत्र, राशन कार्ड, आदि दस्तावेजों की कूट रचना इस आशय से की, कि उनका प्रयोग भारत से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट हेतु किया जा सके ?

(4) क्या आरोपिया मोनिका बेदी ने दिनांक 21.05.2001 या उसके पूर्व फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय भोपाल में फौजिया उस्मान के नाम से स्वयं का फोटो, असत्य शपथपत्र, कूट रचित राशन कार्ड आदि पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष कपट पूर्वक यह जानते हुए कि, वे कूट रचित दस्तावेज है,, जिनका मूल के रूप में प्रयोग किया जावेगा, प्रस्तुत किए है, ?

(5) दोषमुक्ति अथवा दण्डादेश ?

विवेचना, निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

12. विचारणीय प्रश्न क्र.1 एवं 2 के संबंध में :–_

विचारणीय प्रश्न क्र.1 एवं 2 एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है, । अभियोजन के अनुसार दानिश बेग, रूबीना बेग व फौजिया उस्मान के नाम से असत्य नाम पता बताकर फर्जी पासपोर्ट, पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल से बनाए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक, भोपाल के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस), बैरागढ़ द्वारा मामले की जांच की गई तथा प्रदर्श पी.1 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस आशय की साक्ष्य अ.सा.35 आर.एस.नरवरिया, नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई है, तथा प्रदर्श पी.1 के प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किए गए है, । अ.सा.1 उप–निरीक्षक अनिल सिंह मौर्य ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 की रिपोर्ट के आधार पर, प्रदर्श पी.2 के माध्यम से अपराध की कायमी किया जाना बताया है, तथा प्रदर्श पी.2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना भी प्रमाणित किया है, । साक्षी यह भी बताता है, कि प्रदर्श पी.1 के साथ उसे प्रदर्श पी.3 और प्रदर्श पी.4, जो राशन कार्ड से संबंधित रजिस्टरों की प्रतियां है,, प्राप्त हुई थीं व गवाह शगुफ्ता आसिफ, तुलसाबाई, नसीम, मोहम्मद सईद के कथन तथा आरक्षक इरफान अहमद का स्पष्टीकरण भी प्राप्त हुआ था । अ.सा.16 गोपाल सिंह तुमराम, अपर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल, ने प्रदर्श पी.14 के दस्तावेज को प्रमाणित करते हुए बताया है, कि प्रदर्श पी.14 के आदेश के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी आरोपीगण का अभियोजन धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत किए जाने की अनुमति दी गई थी।

13. आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के विरूध्द मुख्यतः यह आरोप है, कि उसने शेष आरोपीगण के साथ आपराधिक षडयन्त्र की रचना करते हुए आरोपी क्र.3 अबू सलेम का दानिश बेग के नाम से, आरोपी क्र.4

समीरा जुमानी का रूबीना बेग के नाम से व आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी का

फौजिया उस्मान के नाम से असत्य पासपोर्ट बनाने में सहायता की और इस हेतु यह जानते हुए भी, कि यह तीनों व्यक्ति अर्जुन वार्ड, गांधीनगर, भोपाल में निवास नहीं करते है, आरोपी क्र.3 के शपथपत्र प्रदर्श पी.10, आरोपी क्र.4 के शपथपत्र प्रदर्श पी.9 व आरोपी क्र.5 के शपथपत्र प्रदर्श पी.79 पर गवाह के रूप में उनकी पहचान की तथा ऐसा उसने यह जानते हुए किया, कि इन शपथपत्रों के आधार पर उक्त आरोपीगण के फर्जी पासपोर्ट बनाए जाएंगे तथा इन असत्य दस्तावेजों को उसने आरोपीगण के साथ पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत किया है।

14. प्रदर्श पी.9 के Q18E, Q18f व Q18G, प्रदर्श पी.10 के Q25E एवं Q25F तथा प्रदर्श पी.79 के Q9A भाग पर उपलब्ध पहचानकर्ता कबीर से संबंधित हस्ताक्षरों एवं हस्तलिपि की जांच हेतु, प्रदर्श पी.11 के पंचनामा हस्तलेख नमूना के जरिए अभियोजन ने आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के हस्तलेख नमूने भी प्राप्त किए थे व उनकी जांच भी हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री अनिल श्रीवास्तव, Additional State Examiner of Questioned Documents, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal से करवाई थी । प्रदर्श पी.11 का पंचनामा हस्तलेख नमूना बनाए जाने तथा आरोपी क्र.2 के हस्ताक्षर नमूने लिए जाने के तथ्य को अ.सा.18 निरीक्षक सुरेश तिवारी एवं अ.सा.9 सीतासरण सुर्यवंशी, आरक्षक ने अपनी – अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है । हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री अनिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट एवं अभिमत दिनांक 10.07.2003 अभिलेख पर उपलब्ध है,किन्तु अभियोजन द्वारा उसे प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं कराया गया है। रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा यह अभिमत दिया गया है, कि आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा की हस्तलिपि के नमूने एस.1 से एस.192 तथा हस्तलिपि व हस्ताक्षर के नमूने एस. 193 से एस.388 का मिलान प्रदर्श पी.9, प्रदर्श पी.10 व प्रदर्श पी.79 व अन्य अप्रदर्शित शपथपत्रों पर उपलब्ध क्यु.1 से क्यु.26 तक की हस्तलिपि व हस्ताक्षरों के साथ किए जाने पर, उन्है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया जा सका अर्थात वे अलग–अलग व्यक्तियों के पाए गए । यद्यपि हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव की साक्ष्य अ.सा.38 के रूप में कराई गई है, किन्तु

अभियोजन द्वारा इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट

को प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं कराए जाने व इस संबंध में अ.सा.38 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव का कोई परीक्षण ना करने के कारण, अभियोजन के विरूध्द ही यह उपधारणा बनती है, कि चूंकि प्रदर्श पी.9, पी.10 एवं पी.79 तथा फौजिया उस्मान, दानिश बेग व रूबीना बेग से संबंधित अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य शपथपत्रों पर आरोपी क्र.2 की हस्तलिपि व हस्ताक्षर नहीं पाए गए थे ; इसीलिए उनसे संबंधित हस्तलिपि विशेषज्ञ रिपोर्ट को भी, अभियोजन द्वारा प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं किया गया ।

15. यह उल्लेखनीय है, कि प्रकरण में क्षमादान प्राप्त सह आरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज, आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा का भाई है तथा यह बात अ.सा.13 ने अपने मुख्य परीक्षण में भी बताई है । अ.सा.13 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है, कि आरोपी क्र.3, 4 एवं 5 के पासपोर्ट क्रमशः दानिश बेग, रूबीना बेग व फौजिया उस्मान के नाम से बनाने की सारी कार्यवाही और औपचारिकताएॅ आरोपी क्र.3 अबू सलेम के कहने पर पासपोर्ट एजेन्ट महेन्द्र शर्मा ने की थी और यह भी बताया है, कि प्रदर्श पी.9 एवं प्रदर्श पी.10 के दानिश बेग और रूबीना बेग के नाम के शपथपत्र न्यायालय के अंदर खलील उल्ला खान के यहां बने थे और आरोपीया मोनिका बेदी का शपथपत्र पुरानी विधान सभा के पास जहां नोटरी बैठते है,, वहां दुबे जी के यहां बनवाया था । अ.सा.13 ने यह भी बताया है, कि महेन्द्र शर्मा ने उसे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से मना किया था और यह भी बताया है, कि शपथपत्रों में कबीर का नाम महेन्द्र शर्मा के ही एक कर्मचारी ने लिखा था ।

16. अन्वेषण के दौरान प्रदर्श पी.16 के पंचनामा हस्तलेख नमूना के माध्यम से नवीन पटवारी आत्मज विजय पटवारी के, प्रदर्श पी.17 के माध्यम से राकेश चावरीया उर्फ डेविड के व प्रदर्श पी.18 के पंचनामा हस्तलेख नमूना के माध्यम से स्वयं महेन्द्र शर्मा के हस्तलिपि व हस्तलेख नमूने भी लिए गए और उनकी जांच भी श्री अनिल श्रीवास्तव, हस्तलिपि विशेषज्ञ से ही करवाई गई थी । श्री अनिल श्रीवास्तव की अप्रदर्शित एवं अप्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार, महेन्द्र शर्मा के हस्ताक्षर नमूनों एस.389 से एस.580, नवीन पटवारी के हस्ताक्षर नमूनों एस.581

से एस.771 एवं राकेश चावरीया उर्फ डेविड के हस्ताक्षर नमूनों एस.772 से एस. 962 की जांच एवं मिलान, पासपोर्ट कार्यालय से जप्त पासपोर्ट आवेदन पत्र और फाइलों से संबंधित दस्तावेजों, प्रदर्श पी.23, प्रदर्श पी.79, प्रदर्श पी.29, प्रदर्श पी. 24, प्रदर्श पी.30, प्रदर्श डी.6, प्रदर्श पी.9, प्रदर्श पी.25, प्रदर्श पी.31, प्रदर्श पी.10, प्रदर्श पी.32, तथा अन्य अप्रदर्शित दस्तावेजों पर उपलब्ध, क्यु.1 से क्यु.26, क्यु1ए, क्यु4ए, क्यु9ए, क्यु11ए, क्यु11बी, क्यु13ए, क्यु16ए, क्यु17ए, क्यु17बी, क्यु18ए से क्यु18जी, क्यु19ए, क्यु19इ, क्यु20ए, क्यु23ए, क्यु24ए, क्यु24बी, क्यु25ए से क्यु25एफ तक, उपलब्ध हस्तलिपि व हस्ताक्षर से किए जाने पर, यह पाया गया कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं तथा यह हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि अलग–अलग व्यक्तियों के है। इस संबंध में भी हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री अनिल श्रीवास्तव से साक्ष्य के दौरान कोई परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है और इससे अभियोजन के विरूध्द प्रतिकूल उपधारणा ही बनती है ।

17. इसके अतिरिक्त विवेचना अधिकारी अ.सा.40 श्री.एस.के.शुक्ला, डी.एस. पी. द्वारा प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.7 एवं 10 में यह स्वीकार किया गया है, कि क्षमादान प्राप्त सहआरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज का यह कथन कि पासपोर्ट संबंधी सभी आवश्यकताएॅ एवं औपचारिकताएॅ महेन्द्र शर्मा व उसके कर्मचारियों द्वारा की गई थी तथा यह कथन की महेन्द्र शर्मा के कर्मचारी ने कबीर बनकर हस्ताक्षर किए थे, यह बातें अन्वेषण के दौरान सत्य नहीं पाई गई । कण्डिका क्र.10 में ही अ.सा.40 ने यह भी स्वीकार किया है, कि महेन्द्र शर्मा के तीनों कर्मचारियों में से किसी के भी हस्ताक्षर प्रश्नाधीन दस्तावेजों पर उपलब्ध, कबीर के हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाए थे । अतः ऐसी स्थिति में क्षमादान प्राप्त सहआरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के इन कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कि महेन्द्र शर्मा के किसी कर्मचारी ने कबीर के रूप में प्रदर्श पी.9, पी.10, पी.79 या अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और इसीलिए अ.सा.13 दी गई साक्ष्य का कोई लाभ आरोपी क्र.2 को नहीं दिया जा सकता । अ.सा.13, आरोपी क्र.2 का भाई है, और इसीलिए अ.सा.13 द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से आरोपी क्र.2 को बचाने का प्रयास करने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता ।

18. किन्तु जैसा कि ऊपर विवेचना की जा चुकी है, कि प्रदर्श पी.9, पी.10 एवं पी.79 तथा अन्य दस्तावेजों पर कबीर के रूप में उपलब्ध हस्तलिपि व हस्ताक्षर मिलान करने पर, वे अभियुक्त क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के नहीं पाए गए थे । इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी.9 एवं प्रदर्श पी.10 के शपथपत्र नोटरी अ.सा.8 खलील उल्ला खान द्वारा अभिप्रमाणित एवं सत्यापित करवाए गए है। शपथपत्रों के अभिप्रमाणन व सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया तो यही होती है, कि शपथकर्ता व पहचानकर्ता साक्षी, नोटरी/सत्यापनकर्ता के समक्ष ही शपथपत्र पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर अपने-अपने हस्ताक्षर करें । किन्तु अ.सा.8 खलील उल्ला खान ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है, कि प्रदर्श पी.9 एवं प्रदर्श पी.10 के शपथपत्रों का सत्यापन करते समय वे शपथकर्ता रूबीना बेग व दानिश बेग को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे और ना ही पहचानकर्ता कबीर को पूर्व से जानते थे । अपनी साक्ष्य में अ.सा.8 आगे यह भी बताते है, कि उनके साथ मुन्शी का काम करने वाले रोशन बारसी ने उन्है, बताया था कि कबीर उनके परिचित अनीस मियां का लडका है और इसीलिए अ.सा.8 ने शपथपत्र अभिप्रमाणित कर दिया था । आरोपी क्र.2 की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में अ.सा.8 खलील उल्ला ने यह स्वीकार किया है, कि उनका कार्यालय दो भागो में है, पर्दे के पीछे वे स्वयं बैठते है, व पर्दे के बाहर उनका मुन्शी बैठता है । उन्होंने यह भी बताया है, कि वे अपने कार्य हेतु मुन्शी की सहायता पर ही निर्भर है, और यह भी बताया है कि शपथपत्र प्रमाणित किए जाने के समय शपथकर्ता तो उनके सामने आए थे किन्तु पहचानकर्ता कबीर उनके सामने नहीं आया था । अर्थात् पहचानकर्ता साक्षी द्वारा अ.सा.8 के समक्ष प्रदर्श पी.9 एवं प्रदर्श पी.10 के शपथपत्रों पर, शपथकर्ताओं के पहचान स्वरूप हस्ताक्षर ही नहीं किए गए । अ.सा.8 ने यह भी बाताया है, कि कबीर नाम के कई लोग हो सकते है । यह महत्वपूर्ण है, कि अभियोजन ने ना तो अ.सा.8 नोटरी खलील उल्ला खान के कथित मुन्शी रोशन बारसी को प्रकरण में गवाह बनाया है, ना ही उससे कोई पूछताछ की और ना ही उसे साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जबकि आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा द्वारा प्रदर्श पी.9 एवं पी.10 के शपथपत्रों में पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करने के संबंध में, उक्त रोशन बारसी ही सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था । यह उल्लेखनीय है, कि अ.सा.8 की साक्ष्य दिनांक 15.11.2006 को अभिलिखित की गई है, जबकि अ.सा.13 सहआरोपी सैयद अब्दुल

जलील उर्फ सिराज को क्षमादान दिनांक 27.11.2006 को दिया गया तथा उसके

पश्चात अभियोजन ने प्रकरण में अग्रिम जांच कर दिनांक 24.01.2007 को पूरक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की । स्पष्ट है कि विवेचना अधिकारियों द्वारा इस संबंध में घोर लापरवाही बरती गई है तथा स्वयं नोटरी अ.सा.8 खलील उल्ला खान ने भी प्रदर्श पी.9 एवं प्रदर्श पी.10 के शपथपत्रों के सत्यापन के दौरान समुचित प्रक्रिया का पालन ना कर घोर लापरवाही बरती है । इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है, कि आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा ने ही प्रदर्श पी.9 एवं प्रदर्श पी.10 के शपथपत्रों में पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए है ।

19. जहां तक प्रदर्श पी.79 का प्रश्न है तो यह शपथपत्र नोटरी श्री विपिन दुबे द्वारा सत्यापित किया गया है, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्है, साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सका । यद्यपि नोटरी स्व.विपिन दुबे के भतीजे अ.सा.33 राहुल दुबे को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया जिसने श्री विपिन दुबे की मृत्यु दिनांक 20.10.2004 को होना बताया है । किन्तु यह साक्षी भी प्रदर्श पी.79 पर श्री विपिन दुबे के हस्ताक्षरों की पहचान नहीं कर सका । अभियोजन ने ऐसा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया, जिसने प्रदर्श पी.9, प्रदर्श पी.10 या प्रदर्श पी. 79 अथवा अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों पर आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा द्वारा पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करना बताया हो । अभियोजन ने ऐसी भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की, जिससे दानिश बेग, रूबीना बेग व फौजिया उस्मान के नाम से असत्य पासपोर्ट बनाए जाने या इस हेतु राशन कार्ड या पते या अन्य तथ्यों से संबंधित शपथपत्रों में आरोपी क्र.2 द्वारा असत्य पहचान, बेईमानी या कपट पूर्वक किया जाना अथवा ऐसे किन्हीं दस्तावेजों को पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष जानबूझकर उनकी असत्यता जानते हुए प्रस्तुत किया जाना अथवा इस हेतु किसी भी अन्य आरोपी के साथ किसी प्रकार का कोई आपराधिक षडयन्त्र बनाया जाना या उसमें सम्मिलित होना प्रमाणित होता हो ।

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि अभियोजन, आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के विरूध्द धारा

420, 467, 468, 120(बी) भा.द.वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट

अधिनियम 1967 के आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.3 एवं 4 के संबंध में</u> :–

21. जैसा कि निर्णय के प्रारंभ यह लिखा जा चुका है, कि प्रत्यर्पण संधि एवं प्रत्यर्पण डिक्री के अनुसार तथा कोर्ट ऑफ अपील्स लिस्बन, पुर्तगाल व सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, पुर्तगाल ने आरोपिया मोनिका बेदी का इस प्रकरण में विचारण केवल धारा 420, 468 एवं 471 भा.द.वि. 1860 तथा धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत ही किए जाने की अनुमति दी थी तथा धारा 419, 467 एवं 120(बी) भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत उसका विचारण किए जाने की अनुमति नहीं दी गई थी तथा इस तथ्य को प्रत्यपर्ण संधि में भारत सरकार ने भी स्वीकार किया था । अ.सा.22, ओ.पी.छतवाल, डी.आई.जी., सी.बी.आई., नई दिल्ली ने अपने साक्ष्य में, प्रत्यर्पण आदेश की प्रति प्रदर्श पी.38 व डिप्लोमेटिक चैनल से प्राप्त कोर्ट ऑफ अपील्स लिस्बन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, पुर्तगाल के निर्णयों की प्रति प्रदर्श पी.37 के माध्यम से डी.आई.जी. भोपाल को भेजा जाना प्रमाणित किया है । इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.4 में यह स्वीकार किया है, कि पुर्तगाल कोर्ट से आरोपिया मोनिका बेदी के संबंध में धारा 419, 467 और 120(बी) भा.द.वि. 1860 की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी ।

22. उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है, कि इस प्रकरण में अन्य आरोपीगण के साथ एक साथ आपराधिक षडयंत्र बनाकर प्रश्नाधीन अपराधों में सम्मिलित होने के आधार ना पर तो आरोपिया मोनिका बेदी का विचारण किया जा सकता है, और ना ही किया जा रहा है । इन्हीं परिस्थितियों में आरोपिया मोनिका बेदी के विरूध्द धारा 467 एवं 120(बी) भा.द.वि. के अंतर्गत कोई आरोप विरचित नहीं किए गए तथा धारा 419 भा.द.वि. के अंतर्गत, प्रारंभिक रूप से जो आरोप विरचित किया गया था, उससे भी, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 06.11.2006 के अनुपालन में आरोपिया को उन्मोचित किया जा चुका है । इस प्रकरण में धारा 420, 468 एवं 471 भा.द.वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत जो आरोप, आरोपिया मोनिका बेदी के विरूध्द विरचित किए गए हैं, वे भी उसके द्वारा कथित रूप से मात्र

फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट बनवाने हेतु कूट रचित शपथपत्र,

राशनकार्ड, फोटो व अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत करने, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कपट एवं छल पूर्वक असत्य शपथपत्र, कूट रचित राशन कार्ड व फोटो बनवाने व उनका उपयोग भारत से बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु किए जाने के संबंध में ही विरचित किए गए हैं तथा सहआरोपी अबू सलेम व समीरा जुमानी द्वारा क्रमशः दानीश बेग व रूबीना बेग के नाम से पासपोर्ट हेतु आवेदन आदि प्रस्तुत करने अथवा फौजिया उस्मान के नाम से अपने पासपोर्ट हेतु शेष सभी आरोपीगण के साथ कोई षडयंत्र रचने के संबंध में कोई आरोप, आरोपिया मोनिका बेदी के विरूध्द विरचित नहीं किए गए हैं ।

23. आरोपी क्र.5 मोनिका बेदी के विरूध्द लगाए गए सभी आरोप मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर ही आधारित हैं तथा अभियोजन का प्रकरण यह है, कि आरोपिया मोनिका बेदी ने प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड, प्रदर्श पी.19 का शपथपत्र व प्रदर्श पी.29 के पत्र फौजिया उस्मान के नाम से बनाए, जबकि उनपर स्वयं अपने फोटोग्राफ लगाए और सुविधापूर्वक फर्जी पासपोर्ट बनवा लेने के आशय से क्षमादान प्राप्त, सहआरोपी सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज को मोहम्मद उस्मान के रूप में अपना पति दर्शाते हुए, उसके साथ अपना फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया तथा सभी दस्तावेजों पर अपना असत्य पता 1928, आबेदा मेमोरियल स्कूल, अर्जुन वार्ड, गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.) होना दर्शाया है । अतः संक्षेप में यह देखा जाना है, कि क्या प्रदर्श पी.23 एवं पी.27 के आवेदन पत्र तथा प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड, प्रदर्श पी.79 का शपथपत्र व प्रदर्श पी.29 का पत्र, आरोपिया मोनिका बेदी ने फौजिया के रूप में कूट रचना एवं छल करते हुए फर्जी रूप में तैयार किए तथा उनका उपयोग फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट बनवाने हेतु किया व उन्हें असत्य जानते हुए भी पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट कार्यालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया । इस संबंध में अ.सा.40 डी.एस.पी. एस.के.शुक्ला ने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि उसने आरोपिया मोनिका बेदी की लिखावट के नमूना हस्ताक्षर प्रदर्श पी.109, प्रदर्श पी.110 व प्रदर्श पी.111 के दस्तावेजों पर प्राप्त किए थे तथा इन दस्तावेजों के 'ए' से 'ए' भाग पर अपने व 'बी' से 'बी' भाग पर

आरोपिया के हस्ताक्षर होना भी इस साक्षी ने बताया । साक्षी यह भी कहता है,

कि उसने इस प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं प्रदर्श पी.96 से प्रदर्श पी.108 पर उपलब्ध आरोपिया मोनिका बेदी के हस्ताक्षर तथा प्रदर्श पी.111 लगायत प्रदर्श पी.114 पर आरोपिया मोनिका बेदी से, फौजिया के रूप में हस्ताक्षर करवाकर तथा प्रदर्श पी.115 से लेकर प्रदर्श पी.133 तक के दस्तावेज मोनिका बेदी की हस्तलिपि में लिखवाकर और उससे फौजिया के रूप में हस्ताक्षर करवाकर जांच हेतु भेजे थे । इनमें से प्रदर्श पी.115 से प्रदर्श पी.131 सेम्पल पासपोर्ट आवेदन पत्र हैं । साक्षी कहता है, कि इन नमूना हस्ताक्षरों की जांच फौजिया उस्मान के नाम से प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में उपलब्ध हस्तलिपि और हस्ताक्षरों से की जानी थी, जिस हेतु उसने इन दस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ जो प्रदर्श पी.88 से प्रदर्श पी.95 है, जांच एवं लिखावट व हस्ताक्षर के मिलान हेतु प्रदर्श पी.87 के पत्र के माध्यम से प्रेषित किए थे व प्रदर्श पी.57 का होटल ली–मेरेडीयन का एन्ट्री दस्तावेज भी जांच हेतु भेजा था।

24. उपरोक्त हस्तलिपि एवं हस्ताक्षरों की जांच एवं मिलान हस्तलिपि विशेषज्ञ अ.सा.38 अनिल श्रीवास्तव से ही करवाई गई है, तथा उनका अभिमत एवं रिपोर्ट भी अग्रिम जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.01.2007 के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है । अ.सा.38 अनिल श्रीवास्तव ने अपने अभिमत को प्रदर्श पी.134 व अपनी रिपोर्ट को प्रदर्श पी.135 के रूप में साक्ष्य में प्रमाणित किया है । प्रदर्श पी.96 से प्रदर्श पी.108 जो इस न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं की प्रतियां है, के, एन.1 से एन.13 व एन.12ए पर उपलब्ध, आरोपिया मोनिका बेदी के हस्ताक्षरों, प्रदर्श पी.109 से प्रदर्श पी.111 के एफ.1 से एफ.12 भागों पर आरोपिया मोनिका बेदी से करवाए गए हस्ताक्षरों, प्रदर्श पी.111 से प्रदर्श पी.114 के एफ.13 से एफ.30 तक के भागों पर मोनिका बेदी से फौजिया के रूप में करवाए गए हस्ताक्षरों, प्रदर्श पी.115 से प्रदर्श पी.131 के सेम्पल पासपोर्ट आवेदन पत्रों पर एफ.31 से एफ.57 तक आरोपिया मोनिका बेदी से करवाए गए हस्ताक्षरों और भरवाए गए विवरणों तथा प्रदर्श पी.132 तथा प्रदर्श पी.133 पर आरोपिया मोनिका बेदी की ली गई हस्तलिपि की जांच, प्रदर्श पी.88, प्रदर्श पी.89, प्रदर्श पी.90, प्रदर्श पी.91, प्रदर्श पी.92, प्रदर्श पी.93 तथा प्रदर्श पी.95 (जो वास्तव में प्रदर्श पी.23, प्रदर्श पी.79 व प्रदर्श पी.29 की फोटोप्रतियां हैं) तथा प्रदर्श पी.94 के, क्यु.1(ए) से लेकर क्यु.12 पर उपलब्ध हस्तलिपि व हस्ताक्षरों के

साथ करवाई गई है । किन्तु अ.सा.38 अनिल श्रीवास्तव ने प्रदर्श पी.134 के

अपने अभिमत के बिन्दु क्र.2 में यह उल्लेखित किया है, कि उपलब्ध डाटा के आधार पर इन हस्ताक्षरों अर्थात प्रदर्श पी.96 से प्रदर्श पी.133 के, एन.1 से एन. 13, एन.12ए व एफ.1 से एफ.60 तथा प्रदर्श पी.88 से प्रदर्श पी.95 पर क्यु.1ए से क्यु.12 तक उपलब्ध हस्तलिपि और हस्ताक्षर के संबंध में वे कोई निश्चित राय नहीं दे सकते हैं । अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.4 में भी अ.सा.38 ने यह स्वीकार किया है, कि उन्होंने प्रदर्श पी.88 में क्यु.1ए से लेकर प्रदर्श पी.95 के क्यु.12 पर उपलब्ध हस्तलिपि और हस्ताक्षरों के संबंध में अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है । यह उल्लेखनीय है, कि अन्य किसी विशेषज्ञ से प्रदर्श पी.23, प्रदर्श पी.79, प्रदर्श पी.29 अथवा उनकी फोटोप्रति प्रदर्श पी.88 से प्रदर्श पी.95 पर, आरोपिया मोनिका बेदी के ही हस्ताक्षर व हस्तलिपि होने के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई जांच नहीं करवाई गई है ।

25. अभिलेख तथा प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 24.11.2006 के अवलोकन से, यह महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होता है, कि प्रकरण में आरोपिया मोनिका बेदी की ओर से एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि अभिरक्षा के दौरान उसके जो नमूना हस्ताक्षर लिए गए थे, उसके संबंध में कोई विशेषज्ञ जांच आना संभावित है, या नहीं, इस बिन्दु पर अभियोजन पक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करे । इस संबंध में अभियोजन ने आवेदन पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया था कि, अभिरक्षा में आरोपिया मोनिका बेदी के, लिए गए हस्ताक्षर, वास्तविक हस्ताक्षरों से भिन्न होने से उन्हें, विशेषज्ञ जांच हेतु प्रेषित ही नहीं किया गया है । इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को औचित्यहीन एवं स्वतः ही निरस्त होना माना था । अर्थात प्रकरण के लंबन के दौरान अभियोजन ने स्वयं यह स्वीकार किया है, कि अभिरक्षा के दौरान लिए गए आरोपिया मोनिका बेदी के हस्ताक्षर और जांच के अधीन दस्तावेजों में उपलब्ध हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि एक दूसरे से भिन्न हैं।

26. इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी.29 के पत्र के क्यु.12 भाग तथा प्रदर्श डी.5 के निचले हिस्से में 'ए' से 'ए' भाग में, अंग्रेजी भाषा में फौजिया के रूप में जो हस्ताक्षर हैं, वे एक बार पढ़ने व प्रथम दृष्टि में ही प्रदर्श पी.23 के क्यु.1ए, प्रदर्श

पी.27 के क्यु.4ए, क्यु.5, क्यु.6 व क्यु.7; प्रदर्श पी.79 के क्यु.8 व क्यु.9 तथा अन्य

शपथपत्र दिनांक 19.05.2001, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी.94 है, के क्यु.10 भाग पर उपलब्ध अंग्रेजी भाषा में ही फौजिया के रूप में किए गए हस्ताक्षरों से, पूर्णतः भिन्न हैं तथा प्रदर्श पी.111 लगायत प्रदर्श पी.131 के एफ.13 से एफ.30, एफ. 31, एफ.33, एफ.36, एफ.37, एफ.38, एफ.40, एफ.42 से एफ.57 तक उपलब्ध, अंग्रेजी भाषा में फौजिया के रूप में किए गए हस्ताक्षरों से पूर्णतः भिन्न हैं । इसी प्रकार प्रदर्श पी.23 के क्यु.1, प्रदर्श पी.27 के क्यु.2, क्यु.3 व क्यु.4 पर उपलब्ध हस्तलिपि भी प्रदर्श पी.111 लगायत प्रदर्श पी.133 के एफ.32, एफ.34, एफ.35, एफ.39, एफ.41, एफ.58, एफ.59 व एफ.60 भागों पर उपलब्ध हस्तलिपि से प्रथम दृष्टि में, पूर्णतः भिन्न दिखाई देती है । अ.सा.38 हस्तलिपि विशेषज्ञ अनिल श्रीवास्तव ने भी अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी.23 एवं प्रदर्श पी.24 के क्यु.1ए व क्यु.13ए के अक्षरों में समानता होना व इन दस्तावेजों के प्रथम पृष्ठों की लिखावट एक ही व्यक्ति की होना बताया है । यह महत्वपूर्ण है, कि प्रदर्श पी.24 आरोपिया मोनिका बेदी से संबंधित दस्तावेज ना होकर सहआरोपी रूबीना बेग उर्फ समीरा जुमानी से संबंधित दस्तावेज है। अ.सा.38 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है, कि प्रदर्श डी.5 के 'ए' से 'ए' स्थान पर उपलब्ध फौजिया के हस्ताक्षर और प्रदर्श पी.23 के क्यु.1ए भाग पर उपलब्ध फौजिया के हस्ताक्षरों में काफी फर्क है, तथा साक्षी ने इन हस्ताक्षरों की भिन्नताओं की बारीकियां भी स्पष्ट की हैं ।

27. अभिलेख पर अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसने ऐसा बताया हो, कि प्रदर्श पी.23, प्रदर्श पी.27, प्रदर्श पी.79, प्रदर्श पी.29 अथवा प्रदर्श पी.94 के दस्तावेज आरोपिया मोनिका बेदी ने स्वयं लिखे या उनपर उसने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं । इन परिस्थितियों में केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि प्रदर्श पी.23 एवं प्रदर्श पी.27 के पासपोर्ट आवेदन पत्रों में, ना तो आरोपिया मोनिका बेदी की हस्तलिपि ही कहीं है, और ना ही उसकी हस्तलिपि में फौजिया के हस्ताक्षर हैं, और ना ही प्रदर्श पी.79, प्रदर्श पी.94, प्रदर्श पी.29 व प्रदर्श डी.5 पर, आरोपिया मोनिका बेदी की हस्तलिपि में फौजिया रूपी हस्ताक्षर हैं । अतः स्पष्ट है, कि ना तो प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदन पत्र आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा भरे गए और ना ही प्रदर्श

पी.23, प्रदर्श पी.79, प्रदर्श पी.94, प्रदर्श पी.29 अथवा प्रदर्श डी.5 पर आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा फौजिया के रूप में हस्ताक्षर किए गए ।

28. विचारणीय प्रश्न क्र.1 एवं 2 के निराकरण के दौरान यह पहले ही देखा जा चुका है, कि प्रदर्श पी.79 व प्रदर्श पी.94 का शपथपत्र, जिन श्री विपिन दुबे, नोटरी के समक्ष सत्यापित करवाया गया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है तथा अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में प्रस्तुत उनका भतीजा अ.सा.33 राहुल दुबे स्वयं प्रदर्श पी.79 पर श्री विपिन दुबे के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं कर सका । अभियोजन की ओर से श्री विपिन दुबे द्वारा तत्समय शपथपत्र सत्यापन हेतु मेन्टेन किए गए रजिस्टर को ना तो जब्त किया गया है, और ना ही उसे, साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, जो विवेचना अधिकारियों द्वारा अन्वेषण कार्यवाही में बरती गई घोर लापरवाही को स्पष्ट करता है । मात्र प्रदर्श पी.79 व प्रदर्श पी.94 में श्री विपिन दुबे की सील अंकित होने से, यह प्रमाणित नहीं हो जाता, कि आरोपिया मोनिका बेदी ने श्री विपिन दुबे के समक्ष उपस्थित होकर ये दस्तावेज बनवाए थे । अ.सा.13 क्षमादान प्राप्त साक्षी अब्दुल सैयद जलील उर्फ सिराज ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है, कि एक शपथपत्र पुरानी विधान सभा के पास जहां नोटरी बैठते है, वहां मोनिका बेदी का बनवाया था । किन्तु उसने ऐसा कोई कथन नहीं किया है, कि यह शपथपत्र बनवाने मोनिका बेदी स्वयं गई या उसने स्वयं शपथपत्र पर हस्ताक्षर किए । इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी.79 व प्रदर्श पी.94 में गवाह के रूप में आरोपी क्र.2 सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा के हस्ताक्षर होना भी अभियोजन प्रमाणित नहीं कर सका । अतः स्पष्ट है, कि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके, कि आरोपिया मोनिका बेदी ने प्रदर्श पी.79 या प्रदर्श पी.94 में फौजिया के रूप में हस्ताक्षर किए हैं ।

29. जहां तक मकान नं.1928, अर्जुन वार्ड, अबेदा मेमोरियल स्कूल, गांधी नगर, भोपाल से संबंधित राशन कार्ड प्रदर्श पी.12 का संबंध है, तो इस विषय में क्षमादान प्राप्त साक्षी सहआरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है, कि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं और आवश्यकताएं महेन्द्र शर्मा पासपोर्ट एजेण्ट द्वारा की गई थी । किन्तु स्वयं महेन्द्र

शर्मा अ.सा.19 ने अपनी साक्ष्य में इन बातों से इंकार किया है । यह पूर्व में ही

देखा जा चुका है, कि अ.सा.40 विवेचना अधिकारी एस.के.शुक्ला ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.6, 7, 8 एवं 10 में यह स्वीकार किया है, कि अन्वेषण के दौरान अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा किए गए यह कथन, कि महेन्द्र शर्मा या उनके किसी कर्मचारी द्वारा पासपोर्ट बनाने की सारी औपचारिकताएं, जैसे निवास प्रमाणपत्र एवं राशन कार्ड बनाने की कार्यवाही की गई थी; पूर्णतः असत्य पाए गए थे ।

30. अ.सा.11 नसीर अहमद, हेल्थ इन्सपेक्टर, नगर निगम, भोपाल ने अपनी साक्ष्य में नगर निगम में राशन कार्ड हेतु रखे जाने वाली पंजी रजिस्टर आर्टिकल–सी को प्रदर्शित एवं प्रमाणित किया है, एवं उसके पृष्ठ क्र.3 के सीरियल क्र.1950 पर दानीश बेग के नाम से तथा पृष्ठ क्र.5 के सीरियल क्र. 1956 पर मोहम्मद उस्मान खान के नाम से प्रविष्ठि होने का उल्लेख किया है। इस साक्षी ने राशन कार्ड बनाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी विवरण दिया है । जहां तक आरोपिया मोनिका बेदी से संबंधित आरोपों का प्रश्न है, तो इस हेतु मात्र मोहम्मद उस्मान खान के नाम से जारी किए गए राशन कार्ड प्रदर्श पी.12 पर ही विचार किया जाना है । इस संबंध में अ.सा.39 श्रीमती अजीज फातमा की साक्ष्य महत्वपूर्ण है ।

31. अ.सा.39 श्रीमती अजीज फातमा ने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि वह सन 2001 में नगर निगम खाद्य शाखा में कार्यरत थी तथा मोहम्मद उस्मान खान आत्मज सुलेमान खान, निवासी वार्ड नं.1, मकान नं.1928, अर्जुन नगर का राशन कार्ड, जिसमें उसके अलावा पत्नी के रूप में फौजिया उस्मान का नाम था, स्वयं अ.सा.39 श्रीमती अजीज फातमा द्वारा बनाकर जारी किया गया जो प्रदर्श पी.12 है । साक्षी ने यह भी बताया है, कि प्रदर्श पी.12 पर उसके व खाद्य अधिकारी उमाशंकर अ.सा.14 के हस्ताक्षर हैं । साक्षी ने यह भी कथन किया है, कि प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन, पार्षद एवं खाद्य अधिकारी के द्वारा आया था । अपने प्रतिपरीक्षण में अ.सा.39 ने यह स्वीकार किया है, कि आवेदन किसको देना था इस बात की उसे जानकारी नहीं है । वह यह भी बताती है, कि राशन कार्ड उसके पास बनने के लिए उसके अधिकारी उमाशंकर के मार्फत

आया था, लेकिन शाखा से कौन लेकर गया, इसकी जानकारी उसे नहीं है ।

साक्षी ने यह भी बताया है, कि आर्टिकल–डी में लगा फोटो मोहम्मद उस्मान का है, यह उसे नहीं मालुम था क्योंकि आर्टिकल–डी के 'ए' से 'ए' एवं 'एफ' से 'एफ' स्थान पर पार्षद मोहम्मद सलीम ने सील और हस्ताक्षर किए थे और व्यक्तिगत रूप से पहचानने की बात कही थी । अ.सा.39 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है, कि उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी उमाशंकर के निर्देश पर प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड बनाया है, और यह भी बताया है, कि इस राशन कार्ड को बनाने के लिए पार्षद, नेताओं और महापौर आदि का दबाव था इसीलिए बिना प्रक्रिया के राशन कार्ड बनाना पडा । अ.सा.39 की इस साक्ष्य से स्पष्ट है, कि प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड बनाए जाने के लिए उसपर पार्षद, महापौर और किन्हीं नेताओं का दबाव था ।

32. यह आश्चर्यजनक है, कि आर्टिकल–'डी' का दस्तावेज विवेचना के दौरान अभियोजन को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी विवेचना है, कि चालान प्रस्तुत करते समय उनके पास प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड व आर्टिकल–'डी' का दस्तावेज उपलब्ध था, किन्तु आर्टिकल 'डी' में किस पार्षद ने फोटो का सत्यापन किया व किसने उसमें 'ए' से 'ए' व 'एफ' से 'एफ' भागों पर सिराज को मोहम्मद उस्मान के रूप में व्यक्तिगत रूप से पहचानने के लिए हस्ताक्षर किए, यह उन्हें ध्यान नहीं है । अ.सा.27 इस बात से इंकार करते हैं, कि उन्होंने इस संबंध में जांच नहीं की, किंतु फिर अत्यधिक हास्यास्पद कथन करते हुए कहते हैं, कि जांच के दौरान संबंधित के कथन लिए गए थे । यह संबंधित कौन था और उसके क्या कथन लिए गए थे, ये तथ्य भी अभिलेख पर प्रकट नहीं किए गए । अ.सा.33 ने यह भी बताया है, कि आर्टिकल–'डी' में 'जी' से 'जी' भाग पर किसकी लिखावट व किसके हस्ताक्षर हैं, इसकी जांच उन्होंने की थी पर आज उन्हें, याद नहीं है । अ.सा.27 विवेचक जय प्रकाश पाली ने यह स्वीकार किया है, कि आर्टिकल–'डी' में गलत सत्यापन करने वाले व्यक्तियों को षडयंत्र में अभियुक्त नहीं बनाया गया है । <u>इतने महत्वपूर्ण प्रकरण में गलत नाम और पते से बनाए गए राशन कार्ड के संबंध में विवेचना अधिकारी अ.सा.27 जयप्रकाश पाली ने इतनी घोर लापरवाहियां क्यों बरतीं; इसका वे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकें हैं । इन तथ्यों से ऐसा भी प्रकट होता है, कि विवचना</u>

अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले कुछ व्यक्तियों को जानबूझकर बचाया गया है ।

33. प्रदर्श पी.12 के संबंध में प्रस्तुत अन्य अभियोजन साक्षी अ.सा.14 उमाशंकर ने यह तो स्वीकार किया है, कि मोहम्मद उस्मान खान व श्रीमती फौजिया उस्मान के नाम से जारी प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड पर उनके हस्ताक्षर हैं, किन्तु वे यह भी बताते हैं, कि फॉर्म लेकर संबंधित बाबू उनके पास हस्ताक्षर करवाने आता है । प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया है, कि जिस समय प्रदर्श पी.12 बना था उस समय आवेदक जिस क्षेत्र में रहता था उस क्षेत्र के किसी विशेष व्यक्ति से सत्यापन नहीं कराया गया, जोनल अधिकारी व पार्षद द्वारा आवेदन का सत्यापन भी नहीं कराया गया । प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.4 में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.12 को देखकर वे यह कह सकते है, कि उसमें आवक और जावक नंबर नहीं डला है, और प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड के संबंध में उनके पास कोई व्यक्ति नहीं आया था । संबंधित लिपिक आया हो तो वे नहीं बता सकते । प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.6 में वह यह भी बताते है, कि आर्टिकल–'डी' के 1950 नंबर पर ''माननीय प्रभारी अधिकारी महोदय के मौखिक आदेशानुसार बनाया गया'' की टीप, 'अ' से 'अ' भाग पर दर्ज है, और प्रभारी अधिकारी उस समय अंसार अंसारी थे । खाता क्र. 1956 जो प्रदर्श पी.12 से संबंधित है, उस पर सील लगाकर अ.सा.14 उमाशंकर द्वारा जारी किया जाना स्वीकार किया गया है । स्पष्ट है, कि नगर निगम भोपाल के कर्मचारी अ.सा.14 उमाशंकर मालवीय व अ.सा.39 श्रीमती अजीज फातमा ने प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड जारी करने में घोर लापरवाहीयां बरती हैं, और इस संबंध में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनके विरूध्द विभागीय जांच की गई थी ।

34. परिस्थिति जो भी हो, किन्तु इतना तो स्पष्ट है, कि अ.सा.14 उमाशंकर मालवीय व अ.सा.39 अजीज फातमा दोनों ने ही अपनी–अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, कि प्रदर्श पी.12 का राशन कार्ड बनवाने हेतु स्वयं आरोपिया मोनिका बेदी ने कोई आवेदन लगाया अथवा कार्यवाही की या राशन कार्ड बनवाने हेतु आरोपिया मोनिका बेदी स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हुई ।

प्रदर्श पी.12 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि इस दस्तावेज में परिवार के मुखिया

के रूप में केवल क्षमादान प्राप्त सहआरोपी सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज का फोटोग्राफ मोहम्मद उस्मान खान के रूप में लगा है, किन्तु आरोपिया मोनिका बेदी का कोई फोटोग्राफ इस दस्तावेज पर नहीं लगा है ।

35. राशन कार्ड बनवाने हेतु आर्टिकल–'बी' का मोहम्मद उस्मान खान का शपथपत्र अ.सा.10 तात्कालीन तहसीलदार श्री मकसूद अहमद के समक्ष सत्यापित करवाया गया है । अ.सा.10 श्री मकसूद अहमद ने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि उनके पदीय दायित्व के दौरान, मोहम्मद उस्मान खान पुत्र मोहम्मद सुलेमान खान निवासी 1928, अर्जुन नगर, गांधी वार्ड का शपथपत्र सत्यापन हेतु आया था। वे शपथकर्ता उस्मान खान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे तथा शपथकर्ता की पहचान जावेद आजम के द्वारा की गई थी और उसी आधार पर उन्होंने शपथपत्र का अभिप्रमाणन किया है । साक्ष्य कण्डिका क्र.4 में अ.सा.10 मकसूद अहमद ने यह भी बताया है, कि शपथकर्ता मोहम्मद उस्मान ने जो शपथपत्र प्रस्तुत किया था वह राशन कार्ड प्राप्त करने व निवास से संबंधित था तथा उसमें दो लोगों का उल्लेख था; एक स्वयं परिवार के मुखिया मोहम्मद उस्मान खान का व दूसरा उनकी पत्नी फौजिया उस्मान का । किन्तु इस साक्षी ने भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है, कि आर्टिकल–'बी' का शपथपत्र बनवाते समय आरोपिया मोनिका बेदी भी, स्वयं या फौजिया उस्मान के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुई । आर्टिकल–'बी' में किसी भी स्थान पर आरोपिया मोनिका बेदी के फौजिया के रूप में हस्ताक्षर भी नहीं हैं । प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है, कि मोहम्मद उस्मान के नाम से भोपाल शहर में कई व्यक्ति हो सकते है, और उसकी पत्नी फौजिया के नाम भी साधारणतः कई महिलाओं के हो सकते है, क्योंकि यह आम प्रचलन है ।

36. यह भी महत्वपूर्ण है, कि अभियोजन की ओर से लिखित तर्क के पृष्ठ क्र.3 के अंतिम चरण, जो धारा 468 भा.द.वि. के आरोप से संबंधित तर्क है, में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, कि आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा यह जानते हुए की छद्म नाम फौजिया उस्मान के रूप में उसका शपथपत्र और राशन कार्ड तैयार हो चुका था, पुलिस वेरीफिकेशन में प्रधान आरक्षक इरफान के समक्ष फौजिया उस्मान के रूप में स्वयं को पेश कर उसने पासपोर्ट का सत्यापन

करवाया । अर्थात अब अभियोजन भी यह स्वीकार करता है, कि राशन कार्ड व शपथपत्र बनते समय आरोपिया मोनिका बेदी उपस्थित नहीं थी।

37. अब प्रश्न यह है, कि क्या आरोपिया मोनिका बेदी ने फौजिया उस्मान के नाम से प्रदर्श पी.23 का पासपोर्ट आवेदनपत्र मय प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श पी.79 के शपथपत्र व दिनांक 19.05.2001 के अन्य शपथपत्र (जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी.94 के रूप में प्रदर्शित की गई है), स्वयं जाकर पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में किसी प्राधिकारी के समक्ष, फर्जी पासपोर्ट हेतु प्रस्तुत किए ?

38. इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अ.सा.31 इन्दु एस. नायर की है, जिसने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि सन 2001 में वह पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में पदस्थ थी तथा फौजिया उस्मान का पासपोर्ट फार्म प्रदर्श पी.27 तथा रूबीना बेग का पासपोर्ट फार्म प्रदर्श पी.30 व दानिश बेग का पासपोर्ट फार्म प्रदर्श पी.31 उसने ही प्राप्त किए थे और उनपर अपना कोड नंबर पी–029 भी डाला था । वह यह भी बताती है, कि तीनों फार्म के डिटेल उसने कम्प्यूटर में फीड किए थे और फिर उसका काम समाप्त हो गया था । अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी, अभियोजन ने इस साक्षी से, ना तो आरोपिया मोनिका बेदी की पहचान करवाई और ना ही इस साक्षी ने यह बताया, कि न्यायालय में उपस्थित आरोपिया मोनिका बेदी ने ही फौजिया उस्मान के रूप में अपने अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पासपोर्ट फार्म, अ.सा.31 इन्दु एस. नायर को प्रदत्त किए । यह तथ्य और अधिक महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है, क्योंकि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि पासपोर्ट कार्यालय में दो काउन्टर होते हैं, एक पब्लिक काउन्टर और दूसरा एजेन्ट काउन्टर तथा उसकी ड्युटी पब्लिक काउन्टर में थी । वह यह भी बताती है कि जो आवेदनपत्र एजेन्ट के जरीए प्रस्तुत किए जाते है, उनपर एजेन्ट का कवर नोट भी होता है, और वे एजेन्ट काउन्टर पर ही जमा किए जाते हैं । इसी आशय के कथन अ.सा.21 अमर लकड़ा ने प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.6 में किए हैं।

39. इसीप्रकार अ.सा.21 अमर लकडा सुप्रीन्टेन्डेन्ट, पासपोर्ट कार्यालय

भोपाल ने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट फार्म, फाईल संख्या ए/013617/01, जो प्रदर्श पी.23 है, उनके कार्यालय में दिनांक 21.05.2001 को जमा हुआ जिसकी कम्प्युटर रसीद प्रदर्श पी.27 है । प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.7 में इस साक्षी ने यह बताया है, कि उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदनपत्र पर यह टीप नहीं लगाई जाती, कि आवेदक ने स्वयं जमा किया है, या अधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा किया गया है । इसीलिए वे प्रदर्श पी. 23, प्रदर्श पी.24 व प्रदर्श पी.25 के आवेदन के बारे में यह नहीं बता सकते की उक्त फार्म किसके द्वारा जमा किए गए हैं ।

40. उक्त परिस्थितियों में यह भी पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, कि अभियोजन द्वारा पासपोर्ट कार्यालय से संबंधित, साक्ष्य में प्रस्तुत दोनों साक्षियों अ.सा.21 अमर लकड़ा एवं अ.सा.31 इन्दु नायर में से कोई भी, यह कथन नहीं करता है, कि आरोपिया मोनिका बेदी ने ही उनके समक्ष उपस्थित होकर प्रदर्श पी.23 का पासपोर्ट फार्म मय राशन कार्ड या दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया । अ.सा.21 अमर लकड़ा ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है, कि फौजिया उस्मान का प्रदर्श पी.29 का पत्र पासपोर्ट अधिकारी के लिए आया था जिसमें लिखा हुआ था कि शपथपत्र दिया गया है, और उसी को डेट ऑफ बर्थ माना जाए । किन्तु प्रदर्श पी.29 का पत्र उनके कार्यालय में कैसे प्राप्त हुआ और किसने प्राप्त किया, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है । असा.21 अमर लकड़ा एवं अ.सा.31 इन्दु नायर दोनों ही यह कथन नहीं करते हैं, कि प्रदर्श पी.29 का पत्र आरोपिया मोनिका बेदी ने ही उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया । वैसे भी पूर्व में की गई विवेचना में प्रदर्श पी.29 पर भी आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा फौजिया उस्मान के रूप में हस्ताक्षर करना नहीं पाया गया है । अतः प्रकरण में ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, कि पासपोर्ट आवेदन पत्र प्रदर्श पी.23 व उसके साथ संलग्न दस्तावेज पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है ।

41. जहां तक पासपोर्ट फॉर्म के साथ क्षमादान प्राप्त सहआरोपी साक्षी अ.सा. 13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज को मोहम्मद उस्मान खान के रूप में अपना पति दर्शाने हेतु सहआरोपी सिराज व मोनिका बेदी के संयुक्त फोटोग्राफ का प्रश्न है, तो स्वयं अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य

में यह बताया है, कि उसने मोनिका बेदी के भोपाल आने के पूर्व ही महेन्द्र शर्मा के निर्देश पर अपने व आरोपिया मोनिका बेदी के फोटोग्राफ को एक साथ रखकर, एम.पी.नगर के किसी स्टूडिओ से संयुक्त फोटोग्राफ बनवाया था। अतः यह भी स्पष्ट है, कि पासपोर्ट फार्म हेतु उपयोग किया गया उक्त संयुक्त फोटोग्राफ, ना तो आरोपिया मोनिका बेदी ने स्वयं बनवाया और ना ही स्वयं उसे पासपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत किया ।

42. उपरोक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट होता है, कि जहां तक प्रदर्श पी.23, प्रदर्श पी.79, प्रदर्श पी.29, प्रदर्श पी.94, प्रदर्श पी.12 व सहआरोपी सिराज के साथ संयुक्त फोटोग्राफ का प्रश्न है, तो ना तो यह सभी दस्तावेज आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा स्वयं बनाए गए और ना ही उन्हें, बनवाने या प्रस्तुत करने के लिए आरोपिया मोनिका बेदी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई ।

43. जैसा कि पहले ही यह उल्लेखित किया जा चुका है, कि उपरोक्त दस्तावेजों को, अन्य सह आरोपियों के साथ आपराधिक षडयंत्र बनाकर तैयार किए जाने के संबंध में आरोपिया मोनिका बेदी का विचारण नहीं किया जा सकता है । इसलिए आरोपिया मोनिका बेदी के विरूध्द उपरोक्त दस्तावेजों को तैयार करने या उन्हें, किन्हीं पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा उनपर हस्ताक्षर करने के संबंध में, कोई सीधी साक्ष्य ना होने पर, अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर या उनके माध्यम से ये दस्तावेज तैयार कराए जाने या प्रस्तुत किए जाने से संबंधित तथ्यों पर, विचार ही नहीं किया जा सकता है ।

44. इसके बावजूद भी यदि अ.सा.13 क्षमादान प्राप्त सह आरोपी सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज की साक्ष्य पर विचार किया जाए, तो इस साक्षी ने यह बताया है, कि वह नौकरी के सिलसिले में दुबई गया था और वहां उसका परिचय अबू सलेम से हुआ था और वह फिर अबू सलेम के यहां नौकरी करने लगा था तथा वहीं उसकी आरोपिया मोनिका बेदी से मुलाकात हुई थी । साक्षी यह भी बताता है, कि समीरा जुमानी, अबू सलेम की पहली पत्नी है, तथा अबू सलेम के आरोपिया मोनिका बेदी के साथ घनिष्ठ संबंध थे तथा वे लोग अक्सर विदेशों में आना जाना करते थे । साक्षी ने यह भी बताया है, कि पहले अबू

सलेम ने, किसी मुशीर नामक व्यक्ति के माध्यम से हैदराबाद से पासपोर्ट बनवाए थे, जहां आरोपिया मोनिका बेदी का पासपोर्ट सना मलिक के नाम से बना था । लेकिन बाद में मुशीर के साथ झगडा हो जाने के कारण, अबू सलेम ने हैदराबाद वाले पासपोर्टों का उपयोग करना बंद कर दिया । साक्षी यह भी कहता है, कि तब अबू सलेम ने उससे भोपाल से पासपोर्ट बनवाने को कहा था और अबू सलेम ने उसे पासपोर्ट बनवाने के लिए महेन्द्र शर्मा भोपाल वाले तथा चेतन इंदौर वाले का नाम बताया था और यह भी बताया था कि अबू सलेम, महेन्द्र शर्मा से पूर्व में, अपने शूटर सलीम हड्डी और अपने अन्य तीन–चार लोगों का पासपोर्ट बनवा चुका है। साक्षी ने यह भी बताया है, कि वह अबू सलेम के निर्देश पर ही पासपोर्ट बनवाने भोपाल आया था और भोपाल आकर महेन्द्र शर्मा से मिला था। साक्षी आगे यह भी बताता है, कि महेन्द्र शर्मा ने मिलने पर बताया था, कि उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से भोपाल आना पडेगा, तो साक्षी ने यह बात अबू सलेम को बताई थी और अबू सलेम ने इस बात पर सहमति दी थी । साक्षी यह भी बताता है, कि उसने महेन्द्र शर्मा को तीन पासपोर्ट के लिए प्रत्येक पासपोर्ट हेतु रू 35,000/– दिए थे । साक्षी आगे मुख्य परीक्षण में यह भी कहता है, कि अबू सलेम ने अपना पासपोर्ट दानिश बेग, उसकी पहली पत्नी रूबीना बेग और तीसरा फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट बनवाने के लिए निर्देश दिए थे ।

45. यदि अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा मुख्य परीक्षण में ही दी गई उपरोक्त साक्ष्य पर विश्वास किया जाए, तो स्वयं उसके अनुसार प्रश्नाधीन तीनों पासपोर्ट बनवाने का निर्देश उसे, अन्य सह आरोपी अबू सलेम उर्फ दानिश बेग ने दिया तथा अबू सलेम के निर्देश पर ही उक्त पासपोर्ट बनवाने वह भारत आया व महेन्द्र शर्मा से मिला । अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, कि फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट बनाने के लिए आरोपिया मोनिका बेदी ने उसे कोई निर्देश दिया था या कोई सहयोग चाहा था ।

46. अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य में आगे यह बताया है, कि महेन्द्र शर्मा ने ही उसे यह बताया था, कि फौजिया उस्मान का अकेले पासपोर्ट बनाने में दिक्कत आएगी और इसपर साक्षी ने फौजिया उस्मान को अपनी पत्नी बनाया और फोटो बनवाने के लिए महेन्द्र शर्मा के निर्देशानुसार

एम.पी.नगर के किसी फोटो लैब में गया जहां उसने अपना और मोनिका बेदी, दोनों के फोटो एकसाथ रखकर, फोटो खिंचवाया तथा अबू सलेम तथा उसकी पहली पत्नी समीरा जुमानी के फोटो भी एक साथ रखकर, फोटो खिंचवाए । किन्तु इस साक्षी ने यह नहीं बताया है, कि आरोपिया मोनिका बेदी का फोटोग्राफ उसके पास कहां से आया या किसने दिया और ना ही यह स्पष्ट कथन किया है, कि स्वयं मोनिका बेदी ने ही अपना फोटो उसे दिया था ।

47. अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया है, कि इसके बाद महेन्द्र शर्मा ने पासपोर्ट के लिए जो औपचारिकताएँ होती है, वह पूरी की और तीनों लोगों को बुला लेने के लिए कहा, जिस पर साक्षी ने अबू सलेम को फोन पर सूचना दी और अबू सलेम ने नेपाल के रास्ते भोपाल आने की बात कही है । अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए इन कथनों से इतना तो स्पष्ट होता है, कि उसके बताए जा रहे घटनाक्रम के इस बिन्दु तक उसकी, आरोपिया मोनिका बेदी से फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट बनाने की, ना तो कोई बात हुई और ना ही मोनिका बेदी ने इस हेतु अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज को कोई निर्देश दिया ।

48. अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने आगे यह भी बताया है, कि वह, तीनों को नेपाल से भोपाल लाने के लिए गाडी से ड्राईवर मुकेश पंडित के साथ सलोनी बॉर्डर नेपाल गया था और वहां से तीनों को भोपाल लेकर आया तथा गांधी नगर, अर्जुन वार्ड वाले अपने मकान पर ठहराया । साक्षी ने आगे बताया है, कि भोपाल आने के दूसरे दिन, वह तीनों को लेकर महेन्द्र शर्मा के पास गया, जहां से महेन्द्र शर्मा ने अपने आदमियों के साथ राशन कार्ड बनवाने नगर निगम खाद्य विभाग में भेजा तथा राशन कार्ड की औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, वह तीनों को लेकर महेन्द्र शर्मा के पास आया । साक्षी यह भी बताता है, कि महेन्द्र शर्मा के पास चार–पांच आदमी थे और पासपोर्ट बनाने की सभी औपचारिकताएँ महेन्द्र शर्मा के आदमियों न की । अ.सा.13 ने यह भी कथन किया है, कि तीनों को लेकर वह पुरानी अदालत भी गया जहां मोनिका बेदी गाडी में बैठी रही तथा अबू सलेम और समीरा जुमानी के साथ वह न्यायालय के अंदर गया जहॉ खलील उल्ला के यहां शपथपत्र बनवाकर, उसने महेन्द्र शर्मा को

दिया और एक शपथपत्र पुरानी विधान सभा के यहां, जहां नोटरी बैठते है, वहां

दुबेजी के यहां आरोपी मोनीका बेदी का बनवाया गया । साक्षी आग बताता है, कि पहचान के रूप में शपथपत्र पर कबीर का नाम लिखा गया और महेन्द्र शर्मा ने उससे कहा था कि वह स्वयं किसी कागज पर हस्ताक्षर ना करें । साक्षी आगे यह भी बताता है, कि इसके बाद तीनों लोग उसके मकान में 20–25 दिन रहे, और समस्त कार्यवाही होने के बाद और समस्त दस्तावेज पासपोर्ट कार्यालय में देने के बाद, तीनों लोग नेपाल चले गए और साथ में वह भी गया तथा यात्रा कार से की । अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने आगे यह भी बाताया है, कि महेन्द्र शर्मा ने उससे यह भी कहा था, कि जब भी पासपोर्ट बनेगा तो सूचना दे देंगे और पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आना होगा । उसने आगे यह भी बताया है, कि इतने दिनों तक वे नेपाल में ही रूके तथा महेन्द्र शर्मा की सूचना आनेपर, पुलिस वेरीफिकेशन के लिए भोपाल आए और उसके बाद पुलिस वेरीफिकेशन हुआ । साक्षी ने अपना नाम मोहम्मद उस्मान बताया और साक्षी कहता है, कि एक बार पुलिस के हेड साहब आए थे और दूसरी बार इन्सपेक्टर आए थे तथा हेड साहब जिनका नाम इरफान था, उन्होंने मोनिका बेदी का वेरीफिकेशन किया और अबू सलेम और समीरा जुमानी का वेरीफीकेशन इन्सपेक्टर बैस साहब द्वारा किया गया । साक्षी यह भी बताता है, कि वेरीफिकेशन के बाद तीनों वापिस चले गए और साक्षी उन्हें, छोडने सलानी बॉर्डर पर गया । साक्षी यह भी कहता है, कि महेन्द्र शर्मा ने उसे यह भी बताया, कि जब भी पासपोर्ट बनेगा तो वह साक्षी को सूचित कर देगा तथा साक्षी को पासपोर्ट बनने की बात भी महेन्द्र शर्मा ने बता दी थी ।

49. ऐसे ही बयान अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने धारा 306(4) द.प्र.सं. के अंतर्गत दिनांक 30.11.2006 को की गई उसकी परिक्षा में भी दिए थे और उसके approver बनने के पश्चात अभियोजन द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त अन्वेषण किया गया तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 24.01.2007 को अभिलेख पर प्रस्तुत की गई । यदि अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज की उपरोक्त साक्ष्य पर विश्वास किया जाए तो उसके द्वारा फर्जी पासपोर्ट बनवाने व इस संबंध में राशन कार्ड और शपथपत्र आदि सभी दस्तावेज फर्जी बनवाने में, उसके साथ महेन्द्र शर्मा अ.सा.19 इस अवैध कार्य और अपराध में

बराबरी से सम्मिलित रहा तथा ऐसी परिस्थिति में तो महेन्द्र शर्मा और उसके

अधिनस्थ कर्मचारियों को भी इस प्रकरण में आरोपी बनाया जाना चाहिए था । किन्तु जैसा कि पूर्व में विवेचना की जा चुकी है, कि पासपोर्ट हेतु प्रस्तुत किसी भी फार्म, शपथपत्र व अन्य दस्तावेजों में उपलब्ध हस्तलिपि और हस्ताक्षरों का मिलान महेन्द्र शर्मा अ.सा.3, राकेश चावरिया उर्फ डेविड व नविन पटवारी के नमूना हस्तलिपि और हस्ताक्षर से करवाए जाने पर उनमें समानता नहीं पाई गई थी और उक्त दस्तावेज इन व्यक्तियों द्वारा लिखा जाना या उनपर हस्ताक्षर किए जाना नहीं पाया गया ।

50. महत्वपूर्ण यह भी है, कि अ.सा.19 महेन्द्र शर्मा ने अपनी साक्ष्य में अ.सा. 13 द्वारा किए गए उपरोक्त समस्त कथनों को पूर्ण रूप से नकारा है तथा यह बताया है, कि अ.सा.13 द्वारा उससे केवल पासपोर्ट संबंधित औपचारिकताओं एवं दस्तावेजों के विषय में पुछताछ की गई थी, जो उसने बता दिया था तथा इसके बाद अ.सा.13 चला गया था तथा दोबारा अ.सा.13 ने कभी महेन्द्र शर्मा से मुलाकात नहीं की । अ.सा.19 महेन्द्र शर्मा को यद्यपि अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घ ोषित करते हुए सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु यह साक्षी अपनी साक्ष्य में स्थिर रहा है । अभियोजन द्वारा तर्क के दौरान यह दर्शाया गया कि अ.सा.19 महेन्द्र शर्मा एक पक्षद्रोही साक्षी है, और इसीलिए उसकी साक्ष्य पर विश्वास ना करते हुए, अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज की साक्ष्य पर ही विश्वास किया जाना चाहिए । किन्तु मेरे मतानुसार अभियोजन का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जैसा कि पूर्व में, एकाधिकबार यह उल्लेखित किया जा चुका है, कि स्वयं अ.सा.40 एस.के.शुक्ला विवेचना अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.6 में यह स्वीकार किया है, कि सिराज के बयान में रू 35,000/- महेन्द्र शर्मा को प्रत्येक पासपोर्ट के हिसाब से दी जानेवाली बात उसने सत्य पाई थी परंतु सत्यता संबंधी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाए तथा फिर अगले प्रश्न के उत्तर में यह भी स्वीकार किया है, कि सिराज का यह कथन असत्य पाया गया था कि उसने रू 35,000/- प्रत्येक पासपोर्ट के लिए महेन्द्र शर्मा को दिए । प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.7 में अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने यह भी बताया है, कि उसने सिराज के इस कथन के अनुसार, कि महेन्द्र शर्मा ने पासपोर्ट बनाने की सारी औपचारिक आवश्यकता जैसे निवास प्रमाणपत्र के लिए राशन कार्ड

बनवाने की कार्यवाही और पासपोर्ट के फॉर्म भी महेन्द्र शर्मा द्वारा तैयार किए जाने के संबंध में नगर निगम में कोई अनुसंधान नहीं किया । साक्षी कहता है, कि उसने महेन्द्र शर्मा से पूछताछ पर, सिराज का बयान सही पाया किन्तु सत्यता संबंधी साक्ष्य नहीं मिल पाई । आगे वह यह भी बताता है, कि उसने परिस्थितियों के आधार पर सत्य मान लिया लेकिन परिस्थितियों का उल्लेख अपनी डायरी में नहीं किया। कण्डिका क्र.8 में अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने यह भी बताया है, कि महेन्द्र शर्मा ने धारा 161 द.प्र.सं. के प्रदर्श पी.26 के कथन में यह स्वीकार नहीं किया है, कि उसने पासपोर्ट बनाने की सारी औपचारिकताएँ या कार्यवाही की थी या पासपोर्ट के फॉर्म भी महेन्द्र शर्मा ने तैयार किए थे । कण्डिका क्र.8 की अंतिम पंक्ति में अ.सा.40 ने यह स्वीकार किया है, कि सिराज का बयान इस विषय पर महेन्द्र शर्मा से तस्दीक नहीं होने के कारण झूठा पाया गया । पुनः प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.10 में अ.सा.40 एस.के.शुक्ला, विवेचना अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया है, कि इस बात की तस्दीक महेन्द्र शर्मा के बयान से नहीं हुई कि अबू सलेम, समीरा और मोनिका बेदी, महेन्द्र शर्मा के साथ पासपोर्ट कार्यालय आवेदन जमा करने के लिए गए । इसी कण्डिका में साक्षी ने यह भी बताया है, कि उसने सिराज के द्वारा धारा 306(4) के कथन के चरण 9 में बताई गई यह बात, कि महेन्द्र शर्मा के कर्मचारी ने कबीर बनकर हस्ताक्षर किए थे सत्य नहीं पाई । साक्षी ने इसी कण्डिका में आगे स्वीकार किया है, कि महेन्द्र शर्मा के तीनों कर्मचारियों में से किन्हीं के भी हस्ताक्षर कबीर के हस्ताक्षर से नहीं मिले ।

51. यह महत्वपूर्ण है, कि अ.सा.40 एस.के.शुक्ला, उप–पुलिस अधीक्षक की श्रेणी का पुलिस अधिकारी है, तथा उसके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.6 से 10 में किए गए उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है, कि या तो वास्तव में जो बातें अ.सा.19 महेन्द्र शर्मा ने बताई हैं, वे ही सही है, या फिर अ. सा.40 द्वारा उक्त महेन्द्र शर्मा को इस प्रकरण में आरोपी बनने से बचाने का प्रयास किया गया है । कारण जो भी हो किन्तु जब अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा महेन्द्र शर्मा और उसके कर्मचारियों के संबंध में पासपोर्ट और दस्तावेज बनवाने संबंधी किए गए कथनों को, स्वयं अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने तस्दीक में सही नहीं पाया है, तब अभियोजन इस बात का कोई

बचाव नहीं ले सकता, कि उसने महेन्द्र शर्मा अ.सा.19 को साक्ष्य के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया है । प्रकरण की इन परिस्थितियों में या तो अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है, या फिर अ.सा.19 महेंद्र शर्मा के । किन्तु इस विरोधाभास का सीधा लाभ तो आरोपी क्र.2 एवं 5 को ही प्राप्त होता है ।

52. अ.सा.13 द्वारा यह बताया गया है, कि वह अबू सलेम, समीरा जुमानी व मोनिका बेदी को लेने ड्राईवर मुकेश के साथ नेपाल सलोनी बॉर्डर गया और वहां से उन्हें, लाकर गांधी नगर, अर्जुन वार्ड के अपने मकान पर ठहराया । पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही करने के उपरान्त, वह पुनः उनके साथ नेपाल चला गया और फिर पुलिस वेरीफिकेशन के समय उन्हें, लेकर भोपाल आया और उसी मकान में ठहराया । इन कथनों की पुष्टि के लिए अभियोजन ने अ.सा.15 मुकेश शर्मा और अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है । यदि अ.सा.15 मुकेश शर्मा एवं अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान द्वारा दिए गए बयानों पर विश्वास कर भी लिया जाए तो उनके बयानों से केवल यह प्रमाणित होता है, कि आरोपी अबू सलेम, समीरा जुमानी व मोनिका बेदी दो बार नेपाल से भोपाल आए और गांधी नगर, अर्जुन वार्ड के किसी मकान में ठहरे । अ.सा.15 मुकेश शर्मा ने अपने बयान में यह अवश्य बताया है, कि वह सभी को नगर निगम, पासपोर्ट कार्यालय और महेन्द्र शर्मा के यहां ले गया था । किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता, कि वहां जाकर आरोपियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई । यह महत्वपूर्ण है, कि नगर निगम व पासपोर्ट कार्यालय के कोई भी कर्मचारी यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं, कि आरोपिया मोनिका बेदी राशन कार्ड बनवाने या पासपोर्ट फॉर्म आदि प्रस्तुत करने उनके समक्ष उपस्थित हुई तथा राशन कार्ड या पते के संबंध में शपथपत्र बनवाने हेतु अ.सा.10 मकसूद अहमद तात्कालीन तहसीलदार द्वारा यही साक्ष्य दी गई है, कि मोहम्मद उस्मान खान उक्त शपथपत्र बनवाने उनके सामने उपस्थित हुआ । प्रदर्श पी.79 और प्रदर्श पी.94 के शपथपत्र भी स्वयं आरोपीया मोनिका बेदी द्वारा बनवाया जाना पूर्व विवेचना अनुसार प्रमाणित नहीं हुआ है । ऐसी परिस्थिति में अ.सा.15 मुकेश शर्मा की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं होता ।

53. अभियोजन ने अ.सा.15 मुकेश शर्मा एवं अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान

की साक्ष्य से यह प्रमाणित करने का प्रयास भी किया है, कि उनके सामने ही आरोपिया मोनिका बेदी ने अ.सा.12, हेड कॉन्स्टेबल इरफान मोहम्मद को स्वयं के फौजिया उस्मान होने और अर्जुन वार्ड, गांधी नगर में रहने का पुलिस वेरीफिकेशन करवाया । अ.सा.15 मुकेश शर्मा ने अपनी साक्ष्य में इस संबंध में बताया है, कि दूसरी बार भोपाल आने के एक–दो दिन बाद एक पुलिसवाला सिराज के घर आया था और कमरे के अंदर बैठकर लिखा पढी की थी । इसीप्रकार अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान ने भी अपनी साक्ष्य में यह बताया है, कि जब सभी लोग नेपाल से वापिस आए थे तो पुलिसवाला आया था । अर्थात अ.सा.15 मुकेश शर्मा और अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान दोनों पर यदि विश्वास किया जाए तो पुलिस वेरीफिकेशन के समय वे सिराज के घर पर ही मौजूद थे । किन्तु स्वयं अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, कि पुलिस वेरीफिकेशन के समय अ.सा.15 मुकेश शर्मा और अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान और मौजूद थे । इसके ठीक विपरीत अ. सा.12 इरफान अहमद, जिसके द्वारा आरोपिया मोनिका बेदी के संबंध में पुलिस वेरीफिकेशन किया जाना अभिकथित है, ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह बताया है, कि जब वह फौजिया के पारपत्रों की जांच करने गया, तो उसे सिराज उर्फ मोहम्मद उस्मान तथा दो अन्य लेडीज़ मिलीं थी । साक्षी ने इस बात को स्पष्ट रूप से इंकार किया है, कि सिराज के अलावा वहां एक पुरूष था तथा स्वतः कहा है, कि मोनिका बेदी के अलावा दो बुजुर्ग लेडीज़ थीं और सिराज था । अतः अ.सा.12 इरफान अहमद के इन कथनों से ही स्पष्ट है, कि पुलिस वेरीफिकेशन के समय अ.सा.15 मुकेश शर्मा और अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान, सिराज के घर पर उपस्थित नहीं थे । इसीलिए अ.सा.15 मुकेश शर्मा और अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान की साक्ष्य विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होती । अभियोजन ने अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम उर्फ नज्मी को भी साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने बताया है, कि उसके पास पासपोर्ट है, और सिराज से उसने दुबई में नौकरी लगवाने की बात कही थी और सिराज के कहने पर ही वह दुबई गया था, जहां सिराज उसे अबू सलेम के घर ले गया । साक्षी बताता है, कि उसने दुबई में मोनिका एवं अबू सलेम को देखा था लेकिन तब उसे उनके अबू सलेम और मोनिका बेदी होने की बात नहीं मालूम थी । साक्षी यह भी बताता है, कि मोनिका और सिराज पासपोर्ट के बारे में आपस में बात कर रहे थे, पर उसे यह नहीं मालूम कि पासपोर्ट कहां से बनवाने को कहा था ।

इस साक्षी द्वारा दी गई उपरोक्त साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है, क्योंकि स्वयं अ. सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य में अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम उर्फ नज्मी से संबंधित कोई कथन नहीं किया है, और ना ही यह बताया है, कि अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम उर्फ नज्मी, कभी दुबई गया या अ. सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के साथ अबू सलेम के यहां गया अथवा वहां उसकी अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम उर्फ नज्मी के समक्ष, मोनिका बेदी से पासपोर्ट के संबंध में कोई बातचीत हुई । सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है, कि अभियोजन के अनुसार प्रश्नाधीन फर्जी पासपोर्ट जुलाई सन 2001 के प्रथम सप्ताह में ही सिराज को प्राप्त हो गए थे तथा दिनांक 09.07.2001 से 13.07. 2001 के मध्य उक्त फर्जी पासपोर्ट सिराज द्वारा आरोपिया मोनिका बेदी को दिल्ली में प्रदान कर दिए गए थे । किन्तु इसके ठीक विपरीत अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है, कि प्रदर्श डी.1 के उसके पुलिस कथन में उसने अगस्त सन् 2001 में दुबई जाने वाली बात बताई थी तथा प्रदर्श डी.1 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है, कि पुलिस कथन में अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम उर्फ नज्मी ने अगस्त सन् 2001 में दुबई जाना और वहां जाने के बाद अबू सलेम और मोनिका बेदी से मुलाकात होना और मोनिका बेदी द्वारा सिराज को एक तरफ ले जाकर पासपोर्ट बनवाने की बात कही जाना, बताया है । यह भी महत्वपूर्ण है, कि अ.सा.32 सैयद आमीर इस्लाम उर्फ नज्मी का, विवेचना के दौरान ना तो पासपोर्ट जब्त किया गया और ना ही दुबई आने–जाने संबंधी कोई रिकॉर्ड ही जब्त किया गया । उपरोक्त कारणों से अ.सा. 32 सैयद आमिर इस्लाम उर्फ नज्मी की साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाती है, तथा अ.सा.15 मुकेश शर्मा, अ.सा.17 अशफाक उर्फ शेरखान और अ.सा.32 सैयद आमिर इस्लाम उर्फ नज्मी की साक्ष्य को अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा दी गई साक्ष्य की पुष्टि स्वरूप नहीं पढ़ा जा सकता ।

54. एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदन पत्र व प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड, प्रदर्श पी.79 के शपथपत्र में मोहम्मद उस्मान खान व फौजिया उस्मान का पता – 1928, आबेदा मेमोरियल स्कूल, अर्जुन वार्ड, गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.) होना दर्शित किया गया है । अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज, अ.सा.15 मुकेश शर्मा, अ.सा.17 अश्फाक उर्फ शेरखान व अ. सा.12 इरफान अहमद हेड कान्स्टेबल किसी ने भी अपने साक्ष्य में उपरोक्त

मकान नंबर का उल्लेख नहीं किया है, । यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कि आरोपिया मोनिका बेदी का फौजिया उस्मान के रूप में पुलिस वेरीफिकेशन किया जाता तो उपरोक्त वर्णित पते पर ही किया जाता । यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक तथ्य है, कि आरोपिया मोनिका बेदी के अ.सा.12 इरफान अहमद हेड कान्स्टेबल द्वारा किए गए पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट को ना तो अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया और ना ही प्रमाणित किया गया । अ.सा.12 इरफान अहमद ने भी अपनी साक्ष्य के दौरान उक्त पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रदर्शित व प्रमाणित नहीं की। इसके विपरीत अ.सा.21 अमर लकडा व अ.सा.27 जयप्रकाश पाली विवेचक की साक्ष्य के दौरान स्वयं आरोपिया मोनिका बेदी की ओर से ही प्रदर्श डी.5 की वेरीफिकेशन रिपोर्ट को प्रदर्शित कर प्रश्न पूछे गए है, । बचाव पक्ष चाहता तो प्रदर्श डी.5 की इस रिपोर्ट को प्रकाश में ही नहीं लाता ।

55. प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदनपत्र व प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड में प्रत्येक स्थान पर मोहम्मद उस्मान खान व फौजिया उस्मान का पता 1928, आबीदा मेमोरियल स्कूल, अर्जुन वार्ड, गांधी नगर होना लिखा है, जिसके अवलोकन से ही स्पष्ट है, कि यह पता आबीदा मेमोरियल स्कूल का है, ना कि उसके आमने–सामने किसी मकान का है, । अ.सा.35 आर.एस.नरवरिया ने प्रदर्श पी.1 के अपने जांच प्रतिवेदन जो कि इस प्रकरण का मूल आधार है, के संबंध में यह साक्ष्य देते हुए प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.3 में यह स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.23 में 1928, आबीदा मेमोरियल स्कूल लिखा है, तथा इस पते पर वह गया था । किन्तु इस भवन पर अबीदा मेमोरियल स्कूल का बोर्ड लगा था और वहां मैनेजर शगुफ्ता और चौकीदार मानसिंह मिले थे, जिनके कथन भी अ.सा.35 आर. एस. नरवरिया, लेखबध्द करना बताता है और यह स्पष्ट रूप से पूछा जाने पर, कि 1928 आबीदा मेमोरियल स्कूल अर्जुन वार्ड, गांधी नगर के पते पर रिहायशी भवन था या सिर्फ स्कूल था, तो इस साक्षी ने बताया है, कि वहां उसने स्कूल पाया था, जहां चौकीदार रहता था । इसके ठीक विपरित अ.सा.27 जयप्रकाश पाली विवेचक ने प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.18 में यह बताया है, कि उसने, शमशाद बी नामक गवाह का, धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत पुलिस कथन, मकान पट्टा नंबर 1928 पर जाकर लिया था तथा यह भी कहा है, कि उसे ध्यान नहीं है, कि शमशाद बी की झुग्गी थी । साक्षी ने यह बताया है, कि

शमशाद बी ने उसे बताया था, कि उसके बगल में सिराज भाई का मकान है, ऐसा उसने सुना है । साक्षी को यह सुझाव देने पर कि शमशाद बी के दो बच्चे थे जिनमें से एक का नाम उस्मान और दूसरी बच्ची का नाम फौजिया था जो कि उसके साथ रहते थे तथा क्या इस बात की जांच उसने की थी, तो साक्षी ने जांच करना व उक्त दोनों को फर्जी पाना बताया था । साक्षी ने यह भी बताया है, कि शमशाद बी का मकान नंबर 1928 होने और प्रदर्श पी.23 पर भी मकान नंबर 1928 अंकित होने के बाद भी, उसने शमशाद बी के बच्चों के संबंध में जांच करना उचित नहीं समझा और ना ही इस बात की जांच की, कि शमशाद बी का लडका उस्मान दुबई में रहता है, या नहीं अथवा शमशाद बी लडकी का नाम फौजिया है, या नहीं। कण्डिका क्र.20 में भी साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि 1928 नंबर का मकान महत्वपूर्ण था तथा साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रधान आरक्षक इरफान अहमद ने, फौजिया के पासपोर्ट का वेरीफिकेशन 1928 नंबर के मकान में किया था या सिराज के मकान में; तो साक्षी ने बताया कि इरफान का कथन लिया गया था किन्तु वह आज रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है ।

56. यह महत्वपूर्ण है, कि प्रदर्श डी.5 के पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट में फौजिया उस्मान का पुलिस वेरीफिकेशन 1928, आबीदा मेमोरियल स्कूल अर्जुन वार्ड में किया जाना उल्लेखित है । यह घोर आश्चर्यजनक विषय है, कि एक ओर तो स्कूल का पता उल्लेखित करते हुए पुलिस वेरीफिकेशन किया गया और दूसरी ओर अ.सा.12 इरफान अहमद, अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज, अ.सा.15 मुकेश शर्मा व अ.सा.17 अशफाक, सभी यह वेरीफिकेशन सिराज के घर में किया जाना बताते हैं। निर्णय की पूर्व की कण्डिकाओं में की गई विवेचनाओं से स्पष्ट है, कि प्रदर्श डी.5 के 'ए' से 'ए' भाग पर आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा फौजिया के रूप में हस्ताक्षर करना नहीं पाया गया है । अ.सा.12 इरफान अहमद ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी.1 के 'स' से 'स', 'ब' से 'ब' तथा 'अ' से 'अ' भाग पर यह स्पष्ट रूप से बताया था कि थाना प्रभारी श्री दिनेश बैस द्वारा, फौजिया उस्मान से संबंधित पासपोर्ट, सहायक उप–निरीक्षक श्री दुबे को पहले जांच हेतु दिया गया था तथा फौजिया उस्मान पति मोहम्मद उस्मान निवासी 1928, आबीदा मेमोरीयल स्कूल, अर्जुन वार्ड के नाम का पुलिस वेरीफिकेशन सहायक उप–निरीक्षक दुबे के पास काफी समय तक पडा रहा व एक दिन अ.

सा.12 इरफान अहमद के पास सिराज और उसके साथ एक नजमी नाम का आदमी आए थे, तो अ.सा.12 ने फौजिया उस्मान का पुलिस वेरीफिकेशन फॉर्म भरकर पहले रिकॉर्ड चेक किया था । किन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान अ.सा.12 ने प्रदर्श डी.1 के 'अ' से 'अ', 'ब' से 'ब' और 'स' से 'स' स्थान पर उक्त बयान देने से ही इंकार कर दिया । यह महत्वपूर्ण है कि की अ.सा.12 पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक है, और यदि कोई पुलिस कर्मी ही धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत दिए गए कथन से इंकार करे, तो यह गंभीर अवचार की श्रेणी में आता है, तथा ऐसे इंकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता । अ.सा.12 इरफान अहमद ने, प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.4 में यह स्वीकार किया है, कि उसने जो फॉर्म भरा था वह रिकॉर्ड में नहीं है । स्वयं अ.सा.27 जयप्रकाश पाली विवेचक ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.22 में यह स्वीकार किया है, कि प्रधान आरक्षक इरफान के द्वारा पासपोर्ट आवेदन पत्र पर की गई वेरीफिकेशन रिपोर्ट संदिग्ध थी ।

57. महत्वपूर्ण यह है, कि अ.सा.27 जयप्रकाश पाली ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.7 में यह स्वीकार किया है, कि प्रदर्श डी.5 फौजिया उस्मान से संबंधित दस्तावेज है, तथा पुनः कण्डिका क्र.8 में उसके द्वारा यह कहा गया है, कि प्रदर्श डी.5 जो कि फौजिया से संबंधित पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट है, उसका कोई उल्लेख साक्षी द्वारा बनाई गई जप्ती प्रदर्श पी.63 में नहीं है । साक्षी ने आगे यह स्वतः कथन किया है, कि हो सकता है, कि रिकॉर्ड में उपलब्ध हो तथा आरोपिया की ओर से यह पूछे जाने पर कि उक्त दस्तावेज किसके रिकॉर्ड में उपलब्ध होगा, तो साक्षी ने उत्तर दिया है, कि यह बात वह अपने कार्यालय में ही पूछकर बता सकता है । प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.9 में अ.सा.27 जय प्रकाश पाली ने यह भी स्वीकार किया है, कि उसने प्रदर्श डी.5 के 'ए' से 'ए' स्थान पर उपलब्ध फौजिया के हस्ताक्षरों को, हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा जबकि उसने इस बात से सहमति प्रकट की है, कि पासपोर्ट फर्जी होने के संबंध में विवाद होने पर, यह आवश्यक हो जाता है, कि पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट पर उपलब्ध आवेदक के हस्ताक्षरों का मिलान, हस्तलिपि विशेषज्ञ से, पासपोर्ट आवेदन पत्रों के साथ कराया जाना चाहिए और वह यह भी स्वीकार करता है, कि फौजिया उस्मान का मूल पासपोर्ट आवेदनपत्र विवेचना के दौरान उसके पास था । अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रदर्श डी.5 जो कि फौजिया उस्मान से

संबंधित वेरीफिकेशन रिपोर्ट है, का अभिलेख में ना मिलना, उसे चालान के साथ प्रस्तुत ना किया जाना और उसे हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास जांच हेतु ना भेजा जाना; या तो इस ओर इशारा करता है, कि विवेचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रदर्श डी.5 की रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, या इस संबंध में भी उसके द्वारा घ ोर लापरवाही बरती गई है ।

58. इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है, कि अ.सा.21 अमर लकड़ा पासपोर्ट अधीक्षक ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है, कि प्रदर्श डी.5 की वेरीफिकेशन रिपोर्ट, प्रदर्श पी.3 के पासपोर्ट के आवेदन के साथ नहीं लगी है । साक्षी यह भी बताता है, कि प्रदर्श पी.36 के जप्ती पत्र के अनुसार, फौजिया उस्मान के पासपोर्ट आवेदन पत्र से संबंधित जप्त की गई फाईल में, सीरियल नंबर 1 से 17 तक के दस्तावेज होने का उल्लेख है । किन्तु इनमें से सीरियल नंबर 16 का दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं है और वेरीफिकेशन रिपोर्ट, जो रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी वह भी रिकॉर्ड में नहीं है । अतः स्पष्ट है, कि जप्ती की कार्यवाही के समय पुलिस वेरीफिकेशन की रिपोर्ट जप्त की गई थी, किन्तु बाद में उसे प्रकरण के अभिलेख से हटा दिया गया । अ.सा.27 के अनुसार यदि यह रिपोर्ट संदिग्ध थी, तो फिर उसके संबंध में विस्तृत जांच क्यों नहीं की गई, यह तथ्य अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका और ना ही इस बात का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन दे सका है, कि ऐसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकरण के अभिलेख में उपलब्ध क्यों नहीं है । स्पष्ट है, कि ऐसा कर विवेचना अधिकारियों द्वारा अ.सा.12 इरफान अहमद को बचाने का प्रयास किया गया है।

59. अगला महत्वपूर्ण बिन्दु यह है, कि अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है, कि उसे पासपोर्ट डाक द्वारा ही प्राप्त हो गए थे और पासपोर्ट प्राप्त होने की खबर उसने फोन द्वारा अबू सलेम को दी, तो अबू सलेम ने उसे पासपोर्ट लेकर दिल्ली जाने के लिए कहा । इस संबंध में अ.सा.21 अमर लकडा एवं अ.सा.31 इन्दु एस. नायर की साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तथा पासपोर्ट कार्यालय के इन दोनों ही साक्षियों ने अपनी–अपनी साक्ष्य में यह बताया है, कि पासपोर्ट तैयार हो जाने के बाद, उसे विशेष प्रकार के लिफाफों में बंद कर, पासपोर्ट आवेदन में दर्शित आवेदक के पते पर, पंजीयत डाक से प्रेषित किया जाता है तथा लिफाफों पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता

है, कि डाक, पताधारक को ही दी जाए तथा यदि पता बदल गया हो, तो पासपोर्ट कार्यालय में वापस भेजी जाए । अ.सा.21 अमर लकड़ा ने यह भी बताया है, कि यदि पोस्टमेन लिफाफों में दर्शित पताधारक को डाक ना देकर, किसी अन्य व्यक्ति को डाक वितरित कर देता है, तो यह भारत सरकार के विरूध्द एक अपराध है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि उनके कार्यालय में, पासपोर्ट की डाक वितरण के बाद, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर सहित एक शीट पोस्ट ऑफिस से बनकर आती है व एक प्रति पोस्ट ऑफिस के पास ही रहती है । साक्षी ने यह बताया है, कि प्रदर्श पी.23, प्रदर्श पी.24 व प्रदर्श पी.25 की फाईलों से संबंधित, प्राप्तकर्ताओं की पोस्टल डाक की रसीदें पुलिस ने जप्त की थीं या नहीं, यह उसे ध्यान नहीं है, । अ.सा.31 इन्दु एस. नायर ने इस संबंध में अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.2 में, यह जानकारी ना होना बताया है, कि पताधारक को रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए पासपोर्ट को प्राप्त करने के बाद उसकी रसीद, डाक विभाग, पासपोर्ट कार्यालय को भेजता था या नहीं । इस संबंध में अभियोजन और विवेचना अधिकारी अ.सा.40 एस.के.शुक्ला द्वारा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका, कि फौजिया उस्मान तथा अन्य लोगों के पासपोर्ट, अ.सा.13 सिराज ने किस प्रकार प्राप्त कर लिए और सिराज द्वारा, उन्हें प्राप्त करने के संबंध में, संबंधित पोस्ट ऑफिस में अभिलेखों की जांच क्यों नहीं की गई और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बयान क्यों नहीं लिए गए । प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने इस संबंध में, यह आश्चर्यजनक जवाब दिया है, कि वह समयाभाव के कारण पोस्ट ऑफिस जाकर डाक वितरण की पुष्टि नहीं कर पाया । प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.12 में उन्होंने स्वीकार किया है, कि पासपोर्ट के प्राप्ति के हस्ताक्षरों की पुष्टि डाक विभाग से करना आवश्यक था, किन्तु उनके दिमाग में यह बात नहीं आई । इसी कण्डिका में आगे अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने, यह भी स्वीकार किया है, कि संबंधित पोस्ट ऑफिस में किसी रजिस्ट्री के प्रदान करने पर, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पावती, संबंधित पोस्ट ऑफिस में होनी चाहिए । साक्षी ने आगे कथन किया है, कि वह नहीं बता सकता, कि सिराज के अनुसार उसने डाक विभाग से जो पासपोर्ट रजिस्ट्री प्राप्त किए थे, उनकी प्राप्ति की रसीदें संबंधित पोस्ट ऑफिस में होंगी या नहीं तथा यह भी कथन किया है, कि उसे यह ख्याल नहीं है, कि उसने सिराज के बयान की तस्दीक के लिए यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया या नहीं, कि पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट, रजिस्ट्री द्वारा भेजे

जाते है, या साधारण डाक से । <u>अ.सा.40 एस.के.शुक्ला द्वारा दिए गया यह कथन इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर, उसके लापरवाहीपूर्ण आचरण को दर्शाता है ।</u>

60. उपरोक्त परिस्थितियों में यह प्रमाणित ही नहीं होता है, कि पासपोर्ट कार्यालय से वास्तव में फौजिया उस्मान व अन्य लोगों के नाम से कोई पासपोर्ट जारी किए गए भी या नहीं और यदि किए भी गए, तो वे अ.सा.13 क्षमादान प्राप्त सहआरोपी सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा कभी प्राप्त किए भी गए या नहीं । इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य पंजीयत डाक की रसीदें, प्राप्ति अभिस्वीकृतियॉ और संबंधित पोस्ट ऑफिस का अभिलेख ही हो सकती थीं, किन्तु उन्हें प्राप्त करने का कोई प्रयास ही अभियोजन और विवेचना अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के इस कथन की पुष्टि ही नहीं होती, की उसने कभी फौजिया उस्मान या अन्य लोगों के पासपोर्ट प्राप्त किए । जब अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा उक्त पासपोर्ट प्राप्त करना ही प्रमाणित नहीं है, तब उसके द्वारा इन पासपोर्टों को दिल्ली जाकर आरोपिया मोनिका बेदी को प्रदान किए जाने से संबंधित उसका कथन, स्वयमेव अविश्वसनीय हो जाता है।

61. किन्तु यदि फिर भी, एक बार अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के कथनों पर विश्वास किया जाए, तो उसने यह बताया है, कि पासपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आरोपी अबू सलेम के निर्देश पर वह उन्हें, लेकर दिल्ली गया था । साक्षी यह भी बताता है, कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आरोपिया मोनिका बेदी 9 जुलाई 2001 को दुबई से फ्लाइट नं. ई. के. 702 से दिल्ली आई थी और दिनांक 13–14 जुलाई 2001 की मध्य रात्री तक दिल्ली में रूकने के बाद फ्लाइट नं. ई. के. 703 से दुबई चली गई थी । साक्षी ने यह भी बताया है, कि यह यात्रा आरोपिया मोनिका बेदी ने स्वयं अपने पासपोर्ट क्र.बी–0195737 से की थी तथा यह पासपोर्ट मोनिका बेदी के नाम से ही जारी किया गया है । साक्षी के इन कथनों की पुष्टि अ.सा.26 अतुल कुमार मिश्रा सहायक निदेशक इंटेलिजेन्स ब्यूरो नई दिल्ली की साक्ष्य एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी.59 व दस्तावेज प्रदर्श पी.60 व प्रदर्श पी.61 से होती है, तथा अ.सा.28 श्रीचंद बाबुराव हिरे, जन संपर्क अधिकारी, रीजनल पासपोर्ट कार्यालय मुंबई की साक्ष्य व प्रदर्श पी.77 के दस्तावेज से भी होती है ।

62. अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि वो और आरोपिया मोनिका बेदी पहले होटल कनॉट में ठहरे और ड्रेस डिज़ाइनर या टेलर, मालती अरोरा जो बॉम्बे से आई थी वह ली–मेरेडीयन होटल में ठहरी थी । दूसरे दिन याने 10 तारीख को मोनिका बेदी ली–मेरेडीयन होटल में चली गई, लेकिन वहां कुछ लोगों द्वारा उसे पहचान लेने से, वे दोनों होटल ग्रान्ट इन्टरकॉन्टीनेन्टल में शिफ्ट हो गए । इस संबंध में अभियोजन ने अ.सा.23 सुनील गिरी, सिक्युरिटी सुपरवाईजर होटल कनॉट, दिल्ली को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसने बताया है, कि प्रदर्श पी.39 के जप्ती पत्र द्वारा, कनॉट होटल का प्रदर्श पी.40 का रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रदर्श पी.41 से प्रदर्श पी.45 के बिल, प्रदर्श पी.46 का arrival रजिस्टर व प्रदर्श पी.47 का departure रजिस्टर जप्त किए गए । प्रदर्श पी.40 के रजिस्ट्रेशन कार्ड में केवल, खान एम. उस्मान खान का नाम दर्शित है, तथा इस दस्तावेज में अनेक स्थानों पर काटा–पिटी और उपरी लेखन भी है । प्रदर्श पी.41, मिस उस्मान के नाम का और प्रदर्श पी.42 से प्रदर्श पी.45, मोहम्मद उस्मान के नाम के बिल हैं । प्रदर्श पी.46 के arrival रजिस्टर के सीरियल 135885 पर एम. उस्मान और मिस उस्मान के आगमन और प्रदर्श पी.47 के इसी संख्यांक पर उनके होटल छोडने का विवरण है । किन्तु प्रदर्श पी.40 से प्रदर्श पी.47 के दस्तावेजों में, ना तो आरोपिया मोनिका बेदी के कोई हस्ताक्षर हैं, और ना ही उनका कोई सत्यापन ही कराया गया है ।

63. अ.सा.25 जयंत कृष्ण, डायरेक्टर सिक्युरिटी, होटल ली–मेरेडियन, नई दिल्ली ने, प्रदर्श पी.53 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त किए गए, प्रदर्श पी.54 से प्रदर्श पी.58 के दस्तावेज अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित किए हैं । प्रदर्श पी.55 एवं प्रदर्श पी.56 उक्त होटल के बिल हैं, प्रदर्श पी.54 departure स्लीप है, जिसपर ना तो किसी के नाम है, और ना ही किसी के हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी.58 उक्त होटल का रजिस्टर है, जिसके सीरियल क्र.202989 पर दिनांक 09.07.2001 को मालती अरोरा और मोनिका अरोरा के ठहरने का उल्लेख है, लेकिन इसपर भी कोई हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं । प्रदर्श पी.57 ली–मेरेडीयन होटल का रजिस्ट्रेशन कार्ड है । मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड के क्यु.1एस भाग पर उपलब्ध हस्ताक्षर आरोपिया मोनिका बेदी के हस्ताक्षर होना अभिकथित करते हुए,

अभियोजन द्वारा, इन हस्ताक्षरों की मिलान प्रदर्श पी.88 से प्रदर्श पी.133 के, एफ. 1 से एफ.60 तथा एन.1 से एन.13 व एन.12ए भागों पर उपलब्ध, आरोपिया के हस्ताक्षरों के साथ करवाए जाने पर, हस्तलिपि विशेषज्ञ अ.सा.38 अनिल श्रीवास्तव ने प्रदर्श पी.134 व प्रदर्श पी.135 के दस्तावेजों के माध्यम से, यह अभिमत दिया है, कि ये हस्ताक्षर, एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं । किन्तु यह महत्वपूर्ण है, कि अ.सा.32 अनिल श्रीवास्तव द्वारा जिन दस्तावेजों पर उपलब्ध हस्ताक्षरों से, प्रदर्श पी.57 के हस्ताक्षरों की मिलान की गई है, उनमें से कई दस्तावेज, फोटो प्रतियों में है। इसके अतिरिक्त अ.सा.32 अनिल श्रीवास्तव ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.6 में स्वयं यह स्वीकार किया है, कि अपने इतने लंबे अनुभव के आधार पर, दो हस्ताक्षर यदि उनके सामने रख दिए जाएं, तो वे केवल अनुमानित मत प्रदान करने में सक्षम हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं, कि ऐसा मत गलत भी हो सकता है।

64. अ.सा.24 सौरभ वर्मा, ऑफिस मैनेजर, होटल कॉन्टीनेन्टल, दिल्ली ने अपनी साक्ष्य में, अपनी होटल से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी.48 से प्रदर्श पी.51, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.52 के अनुसार जप्त करना बताते हुए उन्हें, साक्ष्य में प्रमाणित किया है । प्रदर्श पी.48 के इस होटल के arrival रजिस्टर के सीरियल 6021 पर केवल मिस्टर अरोरा का नाम है। प्रदर्श पी.49 एस.के.शुक्ला, डी.एस.पी, क्राईम ब्रान्च भोपाल को लिखा गया पत्र है। प्रदर्श पी.50 व प्रदर्श पी. 51 होटल के बिल है, जो मालती अरोरा से संबंधित हैं ।

65. यदि अ.सा.13 की साक्ष्य तथा प्रदर्श पी.39 से प्रदर्श पी.47, प्रदर्श पी.49 से प्रदर्श पी.52 व प्रदर्श पी.53 से प्रदर्श पी.58 के दस्तावेजों पर विश्वास किया जाए, तो दिल्ली में अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज तथा आरोपिया मोनिका बेदी की मुलाकात होने, उनके एक साथ ठहरने और वहां अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा आरोपिया मोनिका बेदी को पासपोर्ट प्रदान किए जाने के संबंध में, दिल्ली में विभिन्न होटल में आरोपिया मोनिका बेदी के साथ ठहरने वाली, मालती अरोरा सबसे महत्वपूर्ण साक्षी हो जाती है। किन्तु इस महत्वपूर्ण साक्षी से भी, ना तो अभियोजन द्वारा कोई पूछताछ की गई है, और ना ही उसे गवाह बनाया गया और ना ही साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है । इस गंभीर विलोप का कोई कारण भी अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

यदि एक बार यह मान भी लिया जाए, कि दिल्ली में अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज की मुलाकात, आरोपिया मोनिका बेदी के साथ हुई थी, तो भी जब अभियोजन साक्ष्य से यही प्रमाणित नहीं है, कि फौजिया उस्मान के नाम से जारी किए गए पासपोर्ट, कभी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने डाक के द्वारा प्राप्त किया था, तब उसके द्वारा, दिल्ली में उक्त पासपोर्ट आरोपिया मोनिका बेदी को दिए जाने का तथ्य ही संदिग्ध हो जाता है । अ.सा. 13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज ने अपना मोबाईल नंबर 9826055992 होना बताया है, तथा अभियोजन ने प्रदर्श पी.43, प्रदर्श पी.50 व प्रदर्श पी.55 के विभिन्न होटलों से संबंधित बिलों पर जोर देते हुए, यह दर्शाने का प्रयास किया है, कि इन बिलों में मोबाईल नंबर 9826055992 का उल्लेख है । किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता, कि दुरभाष क्र.9826055992 पर ये कॉल आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा ही किए गए हैं । अ.सा.29 दिलीप मुतालिक, नोडल ऑफिसर आईडिया सेलुलर कंपनी ने, प्रदर्श पी.78 के कॉल विवरण अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित किए हैं, जो पोस्ट पेड मोबाईल क्र.9826055992 से संबंधित हैं । गवाह ने बताया है, कि यह नंबर मई 2001 से जनवरी 2002 तक चालू था तथा सैयद अब्दुल जलील, अपोजिट आबीदा मेमोरियल हॉस्पिटल 1926, अर्जुन वार्ड, गांधी नगर, भोपाल के नाम से अभिलेखों में दर्ज है । अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.78 में अब्दुल जलील की वल्दियत नहीं लिखी है, और यह भी ज्ञात नहीं होता है, कि अब्दुल जलील ही अब्दुल सिराज है। यह भी महत्वपूर्ण है, कि मोबाईल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदक का फोटो और फोटो परिचय पत्र लगाना आवश्यक होता है, तथा यदि दुरभाष क्र. 9826055992 से संबंधित आवेदन पत्र व अभिलेख अभियोजन द्वारा जप्त किए जाते, तो उसपर उपलब्ध फोटो व फोटो परिचय पत्र से यह तथ्य निर्धारित किया जा सकता था, कि उसपर अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज का ही फोटो है, या नहीं । इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी.78 में जहां मकान नं.1926 वर्णित है, वहीं प्रदर्श पी.23 पासपोर्ट आवेदन पत्र और प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड में आरोपी सिराज का मकान नं.1928 दर्शाया गया है, तथा प्रदर्श पी.24 और प्रदर्श पी.25 के पासपोर्ट आवेदन पत्रों और उनसे संबंधित राशन कार्ड में मकान नं. 1927 दर्शित है । इसीलिए यह प्रमाणित नहीं होता, कि प्रदर्श पी.78 का अभिलेख, क्षमादान प्राप्त सह आरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज से ही संबंधित है ।

66. अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के प्रतिपरीक्षण में अनेक अन्य विरोधाभास भी उभरकर आए है । इस साक्षी ने ना तो दुबई जाने, ना ही वहां से आने की कोई निश्चित तिथि बताई है, और ना ही आरोपिया मोनिका बेदी के नेपाल के रास्ते से दो बार भोपाल आने की निश्चित तिथियां बाताई है । इसके विपरीत प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.6 में साक्षी, पासपोर्ट की कार्यवाही शुरू करने की कोई तिथि नहीं बता सका । आरोपिया मोनिका बेदी को लाने के लिए, किस माह में, किस तारीख को वह गया, यह भी वह नहीं बता सका । एक ओर तो साक्षी जुलाई 2001 के प्रथम सप्ताह में पासपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 09.07.2001 से 13.07.2001 के मध्य दिल्ली में उन्हें, आरोपिया मोनिका बेदी को सौंपना बताता है, वहीं दूसरी ओर साक्ष्य कण्डिका क्र.6 में, जून – जुलाई 2001 में, मोनिका बेदी को नेपाल लेने जाना बताता है । उसने यह भी बताया है, कि उसे हाल फिलहाल नेपाल आने–जाने की तारीखें व माह याद नहीं है। साक्षी उस लैब का नाम–पता भी नहीं बता सका, जहां उसने फोटोग्राफ बनवाई थीं और इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका, कि जब आरोपिया मोनिका बेदी भोपाल आ ही गई थी, तब उसने आरोपिया के साथ अपने वास्तविक फोटो ही क्यों नहीं खिंचवा लिए । साक्षी ने दुबई में स्वीस स्टार कंपनी में कार्य करने और कार्य छोडने से संबंधित कोई नियुक्ति पत्र व प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं । अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज कभी आरोपी अबू सलेम के ऑफिस में नौकरी करना बताता है, कभी ऑफिस नहीं जाना बताता है, और कभी आरोपिया मोनिका बेदी व समीरा की सेवा में और उनकी देख–रेख में लगे रहना बताता है, तथा कभी खुद को अबू सलेम का domestic नौकर होना भी स्वीकार करता है ।

67. न्यायालय अभियोजन पक्ष के इस तथ्य से पूर्णतः सहमत है, कि क्षमादान प्राप्त सहआरोपी, अन्य सहआरोपी के विरूध्द एक सक्षम साक्षी होता है, तथा केवल इस आधार पर, कि उसे क्षमादान दिया गया है, उसकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अभियोजन ने, न्यायालय का ध्यान **मघर सिंह विरूध्द स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 1320** के न्याय दृष्टान्त की ओर आकर्षित किया है। किन्तु विधि का यह भी सुस्थापित सिध्दांत है, कि एक सहआरोपी की साक्ष्य को विश्वसनीयता के

सभी मापदण्डों पर सफल होना चाहिए तथा उसकी साक्ष्य के आधार पर कार्य करने के लिए साक्ष्य की समूचित संपुष्टि भी की जानी चाहिए । **रामप्रसाद विरूध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1999 क्रिमिनल लॉ जनरल 2889(सुप्रीम कोर्ट)** के न्याय दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह ठहराया है, कि – "The evidence of an accomplice has to pass the test of reliability and must leave adiquate corroboration before the same can be acted upon."

68. इस निर्णय में अबतक की गई विवेचना से यह भी सुस्पष्ट है, कि वर्तमान प्रकरण में क्षमादान साक्षी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा दी गई साक्ष्य, विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । विशेषकर जबकि यह साक्षी पूरी बेशर्मी से अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार करता है, कि उसके संबंध अबू सलेम के साथ रहे हैं तथा यह भी स्वीकार करता है, कि सन् 1993 के बम धमाकों संबंध में, अबू सलेम के शामिल होने की जानकारी उसे दुबई में ही मालूम हो गई थी, किन्तु यह जानकारी उसने पुलिस को नहीं दी । साक्षी से यह पुछे जाने पर, कि अबू सलेम के यहां काम करने के संबंध में क्या उसे कोई नियुक्ति पत्र या वीजा जारी किया था, तो उसने पुनः बेशर्मी से यह उत्तर दिया है, कि पैसा छीनने के काम में कोई नियुक्ति पत्र या वीजा जारी होता है, क्या ? साक्षी के इस आचरण से उसके शील और चरित्र की वास्तविकता स्पष्ट परिलक्षित होती है, और उसे किसी भी आधार पर एक विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता ।

69. अ.सा.28 श्रीचंद बाबूराव की साक्ष्य व प्रदर्श पी.77 के दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है, कि आरोपिया मोनिका बेदी के पास स्वयं के नाम से पासपोर्ट कार्यालय मुंबई से जारी पासपोर्ट था, जो दिनांक 23.06.2019 के अवधि के लिए वैध है तथा अ.सा.26 अतुल कुमार मिश्रा ने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट किया है, कि आरोपिया मोनिका बेदी, अपने इसी पासपोर्ट क्र.बी–0195737 का उपयोग कर दिनांक 09.07.2001 को दुबई से दिल्ली आई और दिनांक 13.07.2001 को इसी पासपोर्ट से वापस दुबई गई, अर्थात उसने दिनांक 13.07.2001 को दिल्ली से दुबई जाने के लिए अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा, कथित रूप से उसे दिए गए व फौजिया उस्मान के नाम से जारी पासपोर्ट का उपयोग नहीं किया । इस संबंध में अ.सा.21 अमर लकडा की साक्ष्य

अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.8 में यह स्वीकार किया है, कि यदि कोई व्यक्ति भोपाल या भारत में कहीं से भी पासपोर्ट प्राप्त करता है, तो उस पासपोर्ट का इस्तमाल यदि वह ना करें, व बिना इस्तमाल किए दुबई चला जाए, तो उसे ऐसे पासपोर्ट पर दुबई से कहीं भी देश में जाने का वीजा प्राप्त नहीं होगा और ऐसा व्यक्ति दुबई में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा । अतः जब आरोपिया मोनिका बेदी दिनांक 13.07.2001 को, फौजिया उस्मान के नाम के कथित पासपोर्ट से दुबई गई ही नहीं, तो ऐसा पासपोर्ट स्वतः ही व्यर्थ हो गया और यह तथ्य भी अभियोजन के पक्ष को अत्यधिक कमजोर बना देता है।

70. इसी प्रकार अ.सा.26 अतुल कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक, इंटेलिजेन्स ब्यूरो, नई दिल्ली ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है, कि जनवरी 2001 से 09.07.2001 तक आरोपिया मोनिका बेदी के भारत आने की कोई एन्ट्री उसे नहीं मिली और साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है, कि यदि इस बीच आरोपिया मोनिका बेदी का भारत आने का सबूत होता, तो वह उनके कार्यालय में दर्ज होता और गवाह यह भी बताता है, कि आरोपिया मोनिका बेदी के भारत से दुबई जाने का इन्द्राज भी, उसके पासपोर्ट क्र.बी–0195737 में होगा । अ.सा.26 अतुल कुमार मिश्रा की इस साक्ष्य से भी, अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्व ारा, मई एवं जून सन् 2001 के महीने में मोनिका बेदी के भोपाल आने संबंधी दी गई साक्ष्य, की सत्यता खण्डित होती है ।

71. अ.सा.2 सीताराम डेहरिया ने प्रदर्श पी.5 के गिरफ्तारी पंचनामे से आरोपिया मोनिका बेदी को गिरफ्तार किया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है । अ.सा.5 सुरेन्द्र सिंह ने प्रदर्श पी.8 के एक जप्ती पत्रक के माध्यम से पासपोर्ट रजिस्टर जप्त करना बताया है । अ.सा.6 हरिसिंह ने अपनी साक्ष्य में आर्टिकल–ए का पासपोर्ट संधारण रजिस्टर जप्त करना बताया है । अ.सा.30 एस.एन.शर्मा, उप–निरीक्षक ने प्रदर्श पी.63 के जप्ती पत्रक के माध्यम से प्रदर्श पी.34, प्रदर्श पी.72 व प्रदर्श पी.33 की रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय को भेजा जाना तथा प्रदर्श पी.64 से प्रदर्श पी.71, प्रदर्श पी.28, प्रदर्श डी.5 व प्रदर्श डी.7 के दस्तावेज जप्त किए जाने संबंधी साक्ष्य दी है व अ.सा.37 राकेश मोहन शुक्ला, थाना प्रभारी ने, सहआरोपी सिराज के पासपोर्ट जप्ती हेतु, प्रदर्श पी.86 का पत्र

लिखा जाना और प्रदर्श पी.87 के जरिए, उक्त पासपोर्ट जप्त किए जाने का कथन किया है । इन सभी साक्षियों द्वारा दी गई साक्ष्य औपचारिक श्रेणी की है, जिससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता ।

72. अ.सा.34 रूपेन्द्र शर्मा, डायरेक्टर केबिनेट सेक्रेटरी, दिल्ली ने अपनी साक्ष्य में बताया है, कि वे जुलाई सन् 2001 से सितंबर सन् 2003 तक इन्टरपोल में सहायक निदेशक थे तथा इस दौरान उनसे आरोपिया मोनिका बेदी सहित, अन्य आरोपी अबू सलेम व रूबीना के संबंध में जानकारी चाही गई थी और तब उन्होंने प्रदर्श पी.80 के पत्र के साथ उक्त तीनों आरोपियों के फोटोग्राफ, पुलिस अधीक्षक भोपाल को प्रेषित किए थे । साक्षी ने प्रदर्श पी.5 के गिरफ्तारी पंचनामे के साथ संलग्न फोटोग्राफ्स को, वही फोटो होना बताया है, जो उसने प्रेषित किए थे तथा पुलिस अधीक्षक भोपाल के पत्र प्रदर्श पी.85 को भी प्रदर्शित किया है । प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.5 के फोटोग्राफ, मूल निगेटीव से प्रिंट की गई फोटोग्राफ नहीं है, और यह भी स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.5 पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.5 में केवल आरोपिया मोनिका बेदी के नाम के साथ ही दूसरा नाम फौजिया लिखा है, तथा शेष आरोपीगण के संबंध में उनके दूसरे नामों का उल्लेख नहीं है । अ.सा.34 ने यह भी स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी.5 पर संलग्न आरोपिया मोनिका बेदी का फोटो जो उसने भेजा था तथा प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदन पत्र पर लगे फोटो को देखने से दोनों फोटो में ड्रेस, एक जैसे लगते हैं। साक्षी ने यह भी बताया है, कि प्रदर्श पी.5 से संबंधित फोटोग्राफ उसकी कस्टडी में नहीं है, तथा यह फोटोग्राफ इन्टरपोल शाखा से भेजे थे या अनुसंधान शाखा से भेजे थे यह उसे याद नहीं है ।

73. प्रदर्श पी.5 पर संलग्न आरोपिया मोनिका बेदी के फोटोग्राफ और प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदनपत्र में लगे फोटोग्राफ को देखने से, वो एक जैसे ही फोटोग्राफ होना स्पष्ट होते है, और उनमें दिख रहे, कपडे भी एक जैसे ही हैं। यह आश्चर्यजनक है, कि जो फोटोग्राफ प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदनपत्र में लगे हैं, वैसा ही फोटोग्राफ इन्टरपोल को भी प्राप्त हो गया और अ.सा.34 रूपेन्द्र शर्मा ने, उसे पुलिस अधीक्षक भोपाल को भेज दिया । इन तथ्यों से भी आरोपिया मोनिका बेदी की ओर से प्रस्तुत इस तर्क को बल मिलता है, कि

उसके फिल्म कलाकार होने के कारण, उसकी फोटो भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं ।

74. प्रदर्श पी.5 के साथ संलग्न इन्हीं फोटो के आधार पर, अ.सा.3 नसीम खान व अ.सा.7 तुलसाबाई से आरोपिया की पहचान कराई गई थी, किन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने–अपने न्यायालयीन कथनो में, अर्जुन वार्ड गांधी नगर में, आरोपिया मोनिका बेदी को ना देखना बताया है । अ.सा.4 देवेन्द्र शुक्ला ने प्रदर्श पी.6 लगायत प्रदर्श पी.8 के पंचनामे प्रमाणित किए हैं, व बताया है कि उनके द्वारा, शमशाद बी के मकान नं.1928 में जाकर, आरोपिया मोनिका बेदी की फोटो दिखाकर, पहचान कराने पर, शमशाद बी द्वारा मोनिका बेदी को पहचानने से इंकार कर कर दिया गया था । अतः इन साक्षियों की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती बल्कि इन साक्षियों की साक्ष्य से यही प्रमाणित होता है, कि यदि आरोपिया मोनिका बेदी वास्तव में गांधी नगर अर्जुन वार्ड के मकान नं.1928 में कभी रही होती तो, अ.सा.3 नसीम खान, अ.सा. 7 तुलसाबाई व शमशाद बी वगैरह, उसकी फोटो के आधार पर उसकी पहचान अवश्य ही कर लेते ।

75. अ.सा.27 विवेचना अधिकारी, ए.एस.पी. जयप्रकाश पाली ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी.8, प्रदर्श पी.12, प्रदर्श पी.13, प्रदर्श पी.63 से प्रदर्श पी.65, प्रदर्श पी.67 से प्रदर्श पी.69, प्रदर्श पी.5, प्रदर्श पी.28, प्रदर्श पी.16, प्रदर्श पी.33, प्रदर्श पी.34, प्रदर्श पी.74, प्रदर्श पी.75, प्रदर्श डी.7 व आर्टिकल–ए तथा अ.सा.40 विवेचक एस.के.शुक्ला डी.एस.पी ने, अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी.37 से लगायत प्रदर्श पी.61, प्रदर्श पी.77, प्रदर्श पी.87, प्रदर्श पी.88 से लगायत प्रदर्श पी.133 तक के दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। इन सभी दस्तावेजों में से, आरोपिया मोनिका बेदी से संबंधित दस्तावेजों के विषय में विस्तृत विवेचना पूर्व में ही की जा चुकी है ।

76. अ.सा.27 ए.एस.पी. जयप्रकाश पाली, अपनी साक्ष्य में यह भी नहीं बता सके, कि केस डायरी में आरोपी कबीर के, जिस धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लिए गए मेमोरेन्डम तथा आरोपी सिराज के बयान का उल्लेख है, वह जब प्रकरण के रिकार्ड एवं केस डायरी दोनों में ही नहीं है, तो फिर कहां हैं?

इसी प्रकार उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.1 का एस.डी.ओ.पी. का प्रतिवेदन, जिसके आधार पर ही यह प्रकरण प्रारंभ हुआ है, उसके साथ सात गवाहों के बयान संलग्न थे, परंतु वे यह नहीं बता सके कि उक्त सातों बयान प्रकरण के अभिलेख और केस डायरी में उपलब्ध क्यों नहीं हैं । इस संबंध में अ. सा.27 जयप्रकाश पाली ने यह उड़ता हुआ सा कथन किया है, कि शायद प्रदर्श पी.1 के संलग्न दस्तावेज विभागीय जांच में हैं । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है, कि चालान प्रस्तुत करते समय, प्रदर्श पी.1 के साथ संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रति उन्होंने प्रस्तुत नहीं की थी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत ना किया जाने से, धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, अभियोजन के विरूध्द यही विपरीत, उपधारणा बनती है, कि यदि उक्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत किए जाते तो वे अभियोजन के ही प्रतिकूल साबित होते । इस साक्षी ने, प्रश्नोत्तर के रूप में पूछे गए कई प्रश्नों का, सीधा उत्तर ना देते हुए, टरकाने वाले उपेक्षित से उत्तर दिए हैं तथा पासपोर्ट फाइलों में पाए गए गंभीर विरोधाभासों के संबंध में, पासपोर्ट अधिकारी अ.सा.27 अमर लकडा से कोई स्पष्टीकरण और बयान नहीं लेने के बारे में, यह आश्चर्यजनक कथन किया है, कि उनका स्पष्टीकरण और बयान लेना भूलवश रह गया । यद्यपि अ.सा.27 जयप्रकाश पाली ने यह कथन किया है, कि पासपोर्ट अधिकारी की अनियमितता के कारण, पुलिस अधिकारी के माध्यम से पासपोर्ट विभाग को पत्र भी लिखे गए थे, किन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है, कि ऐसे कोई पत्र न्यायालय के रिकॉर्ड और अभियोजन की केस डायरी में उपलब्ध नहीं हैं। अ.सा.27 जयप्रकाश पाली, महेन्द्र शर्मा अ.सा.19 के विरूध्द साक्ष्य उपलब्ध होने पर भी उसे प्रकरण में आरोपी ना बनाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण ना दे सकें। प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.17 में यद्यपि इस साक्षी ने बताया है, कि फर्जी राशन कार्ड के संबंध में उन्होंने नगर निगम कार्यालय में उनके सहयोगी, राकेश मोहन शुक्ला और इन्स्पेक्टर सुरेश तिवारी से जांच करवाई थी, किन्तु इन व्यक्तियों द्वारा की गई जांच का कोई दस्तावेज आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत ना किया जाना और केस डायरी में उपलब्ध ना होना भी अ.सा.27 जयप्रकाश पाली ने स्वीकार किया है । यद्यपि साक्षी ने कण्डिका क्र.22 में यह स्वीकार किया है, कि प्रधान आरक्षक इरफान द्वारा पासपोर्ट आवेदन पत्र पर की गई वेरीफिकेशन रिपोर्ट, संदिग्ध थी, किन्तु प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड प्राप्ति और वेरीफिकेशन रिपोर्ट के संबंध में प्रधान आरक्षक इरफान और सिराज के बीच कोई षडयंत्र ना

होने का कथन भी किया है । यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, कि प्रदर्श पी.12 के राशन कार्ड पर संबंधित पार्षदों व पहचान कर्ताओं के विरूध्द, स्पष्ट एवं सारभूत साक्ष्य होते हुए भी, इस संबंध में ना तो अ.सा.27 जयप्रकाश पाली द्वारा, कोई विवेचना ही की गई और ना ही कोई कार्यवाही ही की गई ।

77. इसी प्रकार अ.सा.40 डी.एस.पी., एस.के.शुक्ला के इस आचरण के संबंध में, कि उन्होंने महेन्द्र शर्मा अ.सा.19 के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी, उसे ना तो आरोपी बनाया और ना ही उसके संबंध में कोई समुचित विवेचना की, पूर्व में ही टिप्पणी की जा चुकी है । क्षमादान प्राप्त सहआरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज को, दिनांक 27.11.2006 को क्षमादान न्यायालय द्वारा दे दिया गया तथा इसके लगभग दो माह बाद, दिनांक 24.01.2007 को, अ.सा.40 एस.के.शुक्ला द्वारा अग्रिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा जांच हेतु लगभग दो माह का समय उपलब्ध होने के बाद भी, उन्होंने, डाक द्वारा पासपोर्ट प्राप्त होने संबंधी विषयों की जांच, संबंधित पोस्ट ऑफिस में समयाभाव के कारण ना करना बताया है । इसी प्रकार क्षमादान प्राप्त सहअभियुक्त सिराज के इन कथनों, कि वह आरोपी मोनिका बेदी व अन्य आरोपियों को नेपाल के सलोनी बॉर्डर से पहले भोपाल लेकर आया, पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही करने के उपरान्त वापस नेपाल ले गया तथा वहां 20–22 दिन रहने के बाद पुनः भोपाल लेकर आया तथा पुलिस वेरीफिकेशन होने के उपरान्त फिर नेपाल छोड आया, की पुष्टि हेतु दो माह का समय उपलब्ध होने के उपरान्त भी, अ.सा.40 डी.एस.पी. एस.के.शुक्ला नेपाल नहीं गए; अपितु अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.9 में, उन्होंने यह कथन किया है, कि नेपाल जाकर अनुसंधान करना उन्होंने आवश्यक नही समझा, किन्तु इसका उन्होंने युक्ति–युक्त कारण दर्शित नहीं किया है । इसके विपरीत प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.9 में तो अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने यह कथन किया है, कि नेपाल एक अलग देश है, यह बात उनकी जानकारी में नहीं है तथा चूंकि वे नेपाल कभी नहीं गए इसलिए वे यह नहीं बता सकते हैं, कि भारत एवं नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा है या नहीं । साक्षी ने इस बात की जानकारी ना होने का कथन भी किया है, कि नेपाल और भारत में आने–जाने वाले का कोई रिकॉर्ड रहता है या नहीं। यह अविश्वसनीय है, कि एक उप–पुलिस अधीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारी को, इन सामान्य बातों और विशेषकर नेपाल अलग देश होने की जानकारी ही ना हो;

और यदि वास्तव में ऐसा है, तो फिर इतने महत्वपूर्ण प्रकरण की विवेचना, ऐसे अल्प ज्ञान वाले उप–पुलिस अधीक्षक से कराया जाना भी गंभीर, दुःख और खेद का विषय है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि पासपोर्ट आवेदनपत्र प्रदर्श पी. 23 लगायत प्रदर्श पी.25 पर, किसकी लिखावट और किसके हस्ताक्षर हैं, यह तथ्य आज भी रिकॉर्ड पर नहीं है, और इसका कारण उन्होंने महेन्द्र शर्मा का असहयोगी रवैया होना बताया है और यह भी स्वीकार किया है, कि महेन्द्र शर्मा पर षडयंत्र का शक होते हुए भी, उसे आरोपी बनाना अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने उचित नहीं समझा । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है, कि क्षमादान प्राप्त सहआरोपी सिराज के धारा 306(4) द.प्र.सं.1973 के अंतर्गत लिए गए कथन की कण्डिका क्र.7 को पढने से ऐसा प्रतीत होता है, कि सिराज को प्रदर्श पी.23 लगायत प्रदर्श पी.25 पर, किस व्यक्ति की लिखावट और किसके हस्ताक्षर हैं, इस बात की व्यक्तिगत जानकारी थी। जैसा कि पूर्व में विवेचना की जा चुकी है, कि अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका क्र.6 से 10 में इस साक्षी ने अनेक स्थानों पर यह कथन किया है, कि उन्होंने क्षमादान प्राप्त सहआरोपी सिराज के द्वारा किए गए अनेक कथनों को सत्य होना नहीं पाया था । तब ऐसी स्थिति में अ.सा.40 एस.के.शुक्ला को मात्र अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज की साक्ष्य पर निर्भर ना रहते हुए, अन्य आवश्यक और सारभूत साक्ष्य भी एकत्रित करनी चाहिए थी, जो किया जाना निश्चित रूप से संभव भी था । किन्तु इसके विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण में, एकाधिकबार अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने यह कथन किया है, कि उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर केवल क्षमादान प्राप्त सहआरोपी सिराज की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए ही, कोई अतिरिक्त और समुचित विवेचना नहीं की। साक्षी से जब पूछा गया कि नेपाल में आरोपिया मोनिका बेदी सहित अन्य आरोपियों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगी, क्या यह उसका अनुमान था ?; तो साक्षी ने उत्तर दिया की उसने अनुमान सिराज के कथनानुसार लगा लिया । अ.सा.40 एस.के.शुक्ला के प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों से स्पष्ट है, कि उन्होंने क्षमादान प्राप्त सहआरोपी अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों की सत्यता जानने के लिए, कोई यथोचित जांच नहीं की, जबकि ऐसी जांच किया जाना संभव भी था और आवश्यक भी। अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने क्षमादान प्राप्त सहआरोपी सिराज के कथनों की जांच के संबंध में दिल्ली में किसी भी साक्षी के पुलिस कथन दर्ज नहीं किए और अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्षी, मालती अरोरा को भी विवेचना की

परिधि से ही बाहर कर दिया । उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, कि उनके द्वारा मालती अरोरा से कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई ।

78. उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है, कि प्रकरण में दोनों ही विवेचना अधिकारी अ.सा.27 जयप्रकाश पाली तथा अ.सा.40 एस.के.शुक्ला ने विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही बरती है व विवेचना अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा दर्शित की है ।

79. इसी प्रकार यद्यपि पासपोर्ट नियम 1980 की अनुसूची 3 के, पासपोर्ट इन्फरमेशन बुकलेट शीर्ष के अंतर्गत, दिए गए निर्देश क्र.2(1) व 2(2) के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेजों और छाया चित्रों का अनुप्रमाणन, सक्षम प्राधिकारियों से कराया जाना आवश्यक है तथा निर्देश 2(2)(ii) में यह भी प्रावधान है, कि ऐसे अनुप्रमाणन हेतु राज्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी, नोटरी पब्लिक अथवा न्यायालय के मजिस्ट्रेट ही सक्षम अधिकारी होंगे तथा यद्यपि इस तथ्य को अ.सा.21 अमर लकड़ा, पासपोर्ट अधीक्षक पासपोर्ट कार्यालय भोपाल ने, भी अपने प्रतिपरीक्षण कण्डिका क्र.11 में स्वीकार भी किया है, किंतु इसके उपरान्त भी, प्रदर्श पी.23 के, फौजिया उस्मान से संबंधित पासपोर्ट आवेदनपत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज और छायाचित्र, सक्षम प्राधिकारियों से अनुप्रमाणित नहीं होने के बाद भी, फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट कैसे जारी कर दिया गया, इस तथ्य का कोई युक्ति–युक्त स्पष्टीकरण अ.सा.21 अमर लकडा के द्वारा नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त यद्यपि प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदनपत्र में, फौजिया उस्मान को शिक्षित होना दर्शाया गया था और फौजिया उस्मान का इस आशय का पत्र प्रदर्श पी.29 और शपथपत्र प्रदर्श पी.79 भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न था कि वह शिक्षित है, किन्तु उसके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है, तथा प्रमाणपत्र गुम गए हैं, किन्तु इसे विपरीत प्रदर्श डी.5 की, अ.सा.12 इरफान खान प्रधान आरक्षक द्वारा दी गई पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट में, फौजिया उस्मान के बारे में यह दर्शाया गया कि फौजिया उस्मान निरक्षर है, लेकिन अक्षर का ज्ञान है । प्रदर्श पी.23 और प्रदर्श डी.5 के इन दस्तावेजों में फौजिया उस्मान के शिक्षित होने संबंधी जो गंभीर विरोधाभास उत्पन्न हुए थे, उसके संबंध में पासपोर्ट अधीक्षक अ.सा.21 अमर लकडा का यह दायित्व था, कि वे इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर, पुनः फौजिया

उस्मान का पुलिस वेरीफिकेशन करवाते तथा यदि ऐसा किया जाता, तो उसी समय सत्य व वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती । यह भी महत्वपूर्ण है, कि पासपोर्ट आवेदन पत्र प्रदर्श पी.23 के पृष्ठ क्र.3 के बिन्दु क्र.5 पर, आवेदक का पहचान चिन्ह प्रकट किए जाने संबंधी कॉलम है, जिसमें कोई पहचान चिन्ह उल्लेखित ना करते हुए केवल ''निल'' लिखा गया है । अ.सा.28 श्रीचन्द बाबुराव हिरे ने आरोपिया मोनिका बेदी के पासपोर्ट क्र.बी–0195737 में भी पहचान चिन्ह के रूप में दाहिने गाल पर तिल का चिन्ह होना बाताया है, तथा इस तथ्य की पुष्टि भी अपनी साक्ष्य के दौरान न्यायालय में आरोपिया मोनिका बेदी को देखकर की है । यह गंभीर आश्चर्यजनक विषय है, कि प्रदर्श पी.23 के पासपोर्ट आवेदन पत्र में, आवेदक का पहचान चिन्ह उल्लेखित नहीं होने के उपरान्त भी, अ.सा.31 इन्दु एस. नायर ने प्रदर्श पी.23 का आवेदन पत्र स्वीकार किया और आवेदन पत्र स्वीकार करते समय भी पहचान चिन्ह की जांच नहीं की तथा अ.सा.21 अमर लकडा ने पासपोर्ट आवेदन पत्र में पहचान चिन्ह उल्लेखित नहीं होने पर भी, फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट जारी कर दिया । किन्तु अप्रमाणित दस्तावेजों व बिना पहचान चिन्ह वाले आवेदन पत्र के आधार पर फौजिया उस्मान का पासपोर्ट जारी कर तथा पुलिस वेरीफिकेशन प्रदर्श डी.5 व पासपोर्ट आवेदन प्रदर्श पी.23 में आए गंभीर विरोधाभास की जांच ना करवाकर अ.सा.21 पासपोर्ट अधीक्षक अमर लकडा ने भी अपने इन कर्तव्यों के प्रति गंभीर उपेक्षा व अनियमितता बरती है ।

80. आरोपिया मोनिका बेदी की ओर से एक आपत्ति यह उठाई गई है, कि सहआरोपी सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज को क्षमादान प्रदान करने और approver बनाने से प्रत्यावर्तन संधि और डिक्री का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील्स लिस्बन व सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील पुर्तगाल द्वारा आरोपिया के संबंध में, इस प्रकरण में अभियोजन की अनुमति देते समय, क्षमादान प्राप्त सहअभियुक्त अ.सा.13 सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज के कथन, उन न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे । इस संबंध में आरोपिया की ओर से **राज्य विरूध्द प्रेम सरूप पुरी, आई.एल.आर. (1973) I दिल्ली 803** का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है । किन्तु उक्त न्याय दृष्टान्त वाले प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण के तथ्य से पूर्णतः भिन्न हैं । इस प्रकरण में प्रत्यर्पण संधि व डिक्री केअनुसार, आरोपिया का विचारण केवल धारा 420, 468, 471 भा.द.वि. सहपठित

धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत किया है, तथा क्षमादान प्राप्त सहआरोपी अ.सा.13, सैयद अब्दुल जलील उर्फ सिराज की साक्ष्य का उपयोग भी केवल इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत आरोपिया के विचारण हेतु किया गया है। अतः इस संबंध में आरोपिया की ओर से प्रस्तुत आपत्ति एवं तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं ।

81. अभियोजन की ओर से **सेंथामराई विरूध्द एस.कृष्णराज व अन्य 2002 क्रीमिनल लॉ जरनल 2375** का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है। किन्तु यह न्याय दुष्टान्त, धारा 306 द.प्र.सं. के अंतर्गत approver को क्षमादान प्रदान किए जाने की आवश्यकताओं व इस संबंध में, अन्य सह–अभियुक्त को आपत्ति लेने का अधिकार ना होने के संबंध में है, जिसका पूर्व में ही निराकरण, इस न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका में पारित आदेशों के माध्यम से किया जा चुका है।

82. आरोपिया मोनिका बेदी की ओर से **बेनेडिक्ट बालनाथन महेन्द्रन उर्फ बाल महेन्द्रन व अन्य विरूध्द राज्य, 1996 क्रीमिनल लॉ जरनल (3) 2619** का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह ठहराया गया है, कि जहां पासपोर्ट हेतु आवेदन पत्र अभियुक्त द्वारा अपनी हस्तलिपि में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, पासपोर्ट बिना पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के जारी कर दिया गया था, अभियुक्त ना तो प्राधिकारीयों के समक्ष उपस्थित हुआ था और ना ही उसने आरोपित अवैध कृत्य किए थे, आरोपित अपराध मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से सिध्द नहीं हुए थे तब ऐसी स्थिति में अभियोजन, संदेह से परे आरोपी के विरूध्द अपराध प्रमाणित करने विफल रहा है । इसी प्रकार आरोपिया की ओर से **पब्लिक प्रॉसीक्युटर उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद विरूध्द गोपीचेट्टी राजेन्द्रन व अन्य, 2004(1) ए.एल.डी.(क्रिमिनल) 833 (आन्ध्र प्रदेश)** का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह ठहराया गया है, कि धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत आरोप प्रमाणित करने के लिए केवल यह तथ्य, कि पासपोर्ट अभियुक्त के नाम से प्राप्त किया गया है, पर्याप्त नहीं होता; अपितु अभियोजन के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है, कि अभियुक्त ने स्वयं पासपोर्ट अधिकारियों के साथ, असत्य जानकारियां देकर छल किया । इस संबंध में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता तथा

हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकती । निश्चित रूप से आरोपिया इन न्याय दृष्टान्तों का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है ।

83. अभियोजन ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है, कि फौजिया उस्मान के नाम से जारी पासपोर्ट पर आरोपिया मोनिका बेदी की ही फोटो लगी थी और इसलिए उसका लाभ भी आरोपिया मोनिका बेदी को ही मिलना था तथा मात्र इसी आधार पर अपराध में उसकी संलिप्तता स्पष्ट हो जाती है । किन्तु जब फौजिया उस्मान के नाम से पासपोर्ट जारी किया जाना ही प्रमाणित नहीं है, प्रश्नाधीन पासपोर्ट, अभियोजन द्वारा जप्त भी नहीं किया जा सका है तथा अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, कि आरोपिया मोनिका बेदी द्वारा फौजिया उस्मान के नाम से जारी पासपोर्ट का कहीं उपयोग किया गया; अपितु स्वयं अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है, कि आरोपिया दिनांक 09.07.2001 को स्वयं के नाम के पासपोर्ट से दुबई से दिल्ली आई व दिनांक 13.07.2001 को अपने ही नाम के पासपोर्ट क्र.बी–0195737 का उपयोग करते हुए ही, दिल्ली से वापिस दुबई गई, तब इन परिस्थितियों में अभियोजन की उपरोक्त आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है।

84. निर्णय के उपरोक्त विभिन्न चरणों में की गई विवेचना के आधार पर, विचारणीय प्रश्न क्र.3 एवं 4 के संबंध में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि अभियोजन पक्ष आरोपिया मोनिका बेदी के विरूध्द इस प्रकरण में धारा 420, 468, 471 भा.द.वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

85. परिणाम स्वरूप आरोपी शेख अब्दुल कबीर उर्फ बाबा को धारा 420, 467, 468, 120(बी) भा.द.वि.1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट

अधिनियम 1967 के आरोपों से तथा आरोपिया मोनिका बेदी को धारा 420, 468, 471 भा.द.वि. 1860 सहपठित धारा 12(1)(ख) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाता है । तदानुसार विचारणीय प्रश्न क्रं.5 का भी निराकरण किया जाता है।

86. प्रकरण में अभी आरोपीगण दानिश बेग उर्फ अबू सलेम व रूबीना बेग उर्फ समीरा जुमानी की गिरफ्तारी होना व विचारण होना शेष है । अतः यह स्पष्ट किया जाता है, कि आरोपी सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा एवं मोनिका बेदी के संबंध में पारित किए गए इस निर्णय व उसमें दिए गए निष्कर्षों का, कोई प्रभाव उक्त अनुपस्थित आरोपीगण के विचारण पर नहीं रहेगा ।

87. यह अत्यधिक खेदजनक एवं व्यथित कर देने वाला विषय है, कि अ.सा. 8 खलील उल्ला खान, नोटरी; अ.सा.12 प्रधान आरक्षक इरफान अहमद; अ.सा. 14 उमाशंकर, तात्कालीन सहायक अधीक्षक नगर निगम, भोपाल; अ.सा.21 पासपोर्ट अधीक्षक अमर लकड़ा; अ.सा.27 सेवा निवृत्त ए.एस.पी. जयप्रकाश पाली; अ.सा.31 इन्दु एस. नायर, तात्कालीन अपर श्रेणी लिपिक, पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल; अ.सा.39 अजीज फातमा, निम्न श्रेणी लिपिक, नगर निगम, भोपाल तथा अ.सा.40 डी.एस.पी. एस.के.शुक्ला ने इस प्रकरण की विषयवस्तु से संबंधित, अपने–अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर उपेक्षा एवं अनियमितता बरती, जिनका विवरण इस निर्णय के विभिन्न चरणों में दिया गया है, अन्यथा प्रश्नाधीन अपराधों के संबंध में वास्तविक अपराधियों को अभियोजित एवं दण्डित किया जाना संभव हो सकता था । किन्तु उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने वास्तविक सत्य को अभिलेख पर लाने की अपेक्षा सत्य की मृत्यु कारित करने में योगदान दिया है । इस न्यायालय द्वारा शासन एवं संबंधित एजेन्सियों के प्रमुख से यह मानवीय अपेक्षा की जाती है कि सत्य की मृत्यु कारित करने वाले उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे ।

88. चूंकि अनुपस्थित आरोपीगण का अभियोजन अभी शेष है, इसीलिए आरोपी सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा तथा मोनिका बेदी के संबंध में प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाए । आरोपी सैयद अब्दुल कबीर उर्फ बाबा की प्रतिभूति एवं बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया ।	**मेरे निर्देश पर टंकित**
(अजय श्रीवास्तव)	**(अजय श्रीवास्तव)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल**